उत्तराखण्ड शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग-1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

वर्ष

2009-10

प्रतिवेदकः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय सूची

भाग–1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग)

(1)–प्रशासनिक खण्ड

क्र0 सं0	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1,	विभागीय प्राधिकार के श्रोत	2.1	1–2
2.	सम्परीक्षाधीन लेखे	3.1–3.2	2
3.	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1–4.2	2–3
4.	प्रभागीय आय–व्ययक	5.1–5.3	3–4
5.	प्रभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1–6.2	4
6.	प्रभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1–7.4	4–5
7.	प्रभाग की जनशक्ति	8	5
8.	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	6
9.	सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें	10.1.1	6
10.	विशेष सम्परीक्षायें	10.1.2	6
11.	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1–10.2.2	7
12.	धर्मादा संदान निधि	11	7
13.	लेखाकार परीक्षा का आयोजन	12	7
14.	जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण	13	7
15.	निष्कर्ष	–	8
	(2)–कार्यकारी खण्ड	–	9–28
	(3)–परिशिष्ट क, ख, ग, घ, ङ, च, छ व ज	–	29–42

1- प्रशासनिक खण्ड

भारतीय संघ के अधीन 09 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। उत्तरांचल शासन ने वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचे का अनुमोदन करते हुए वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या 5098/वि0स0शा0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा विभाग के संगठनात्मक ढांचे में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड में सम्मिलित कर लिया गया है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के विधान उत्तराखण्ड राज्य पर भी इन्हें उपान्तरित किये जाने तक लागू है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा -8(3) के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पर आधारित वर्ष 2008-09 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य के विधान सभा पटल पर रखा जा चुका है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2009-10 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

2- विभागीय प्राधिकार के स्रोत :-

2.1 प्रदेशान्तर्गत अवस्थित स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के संगत नियमों एवं तदधीन निर्मित नियमावलियों एवं परिनियमावलियों आदि में यथास्थान शासन द्वारा इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उक्त संस्थाओं की निधियाँ **''स्थानीय निधि'' (लोकल फण्ड)** के नाम से जानी जायेगी और उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जायेगी। संहत रुप से सभी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखा परीक्षा अनिवार्य रुप से इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा किये जाने की दृष्टि से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग-1 के पैरा 369 ''के'' में यह प्राविधान किया गया है कि निदेशक द्वारा राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले सभी स्थानीय निकायों/संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा करके अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारुप पर निर्गत किया जायेगा।

इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि भारत सरकार की ओर से इन स्थानीय निकायों/संस्थाओं के कार्यकलाप पर दृष्टि रखने के लिए निदेशक द्वारा वर्षान्त में संहत रुप से वर्षान्तर्गत स्वीकृत अनुदानों के उपभोग की स्थिति से महालेखाकार को सूचित किया जायेगा, जिससे शासन द्वारा प्रदेश के लोक सेवा निधि से स्वीकृत किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं द्वारा इन अनुदानों का उपभोग उन्ही प्रयोजनों के निमित्त किया गया है अथवा नहीं, जिनके लिये वे स्वीकृत किये गये थे तथा उन संगत नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं, जिनके अन्तर्गत उन्हें उक्त धनराशियों का उपभोग करना था। शर्तो एवं प्रतिबन्धों के उल्लंघन की स्थिति से प्रतिवेदन में यथास्थान उल्लेख किया गया है।

2.2 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 (उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या 12 सन् 1984) जो कि दिनांक 30 अप्रैल, 1984 से प्रवृत्त हुआ तथा जो नवसृजित उत्तरांचल राज्य में भी समान रुप से प्रभावी है, की धारा-4(2) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने इस विभाग को यह शक्ति भी प्रदान की है कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की परीक्षा पूर्णतया ऐसे किसी अधिनियम में जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दौरान या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

2.3 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 में प्रादेशिक विधान मण्डल द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट आदेश पारित करने के उपरान्त अब स्थिति यह है कि प्रदेशान्तर्गत स्थित सभी स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं की सम्परीक्षा अनिवार्यतः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जानी है।

3- सम्परीक्षाधीन लेखे -

3.1 वर्ष में 2009-10 में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं की संख्या 990 थी। उप सम्परीक्षा से सम्बन्धित 974 संस्थाओं के विवरण संलग्न **परिशिष्ट ''क'' भाग-1** में दिये गये हैं। शेष सम्वर्ती सम्परीक्षा एवं शतप्रतिशत लेखा परीक्षा से सम्बन्धित 16 संस्थाओं की सूची **परिशिष्ट ''क'' भाग-2** के रुप में संलग्न है।

3.2 सम्परीक्षाधीन प्रमुख स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिसके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट ''ख''** में दी गई है।

4- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य : -

4.1 शासन द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग को प्रदेश की स्थानीय निकायों एवं स्वायतशासी संस्थाओं को स्वीकृत किये गये वित्तीय अनुदानों एवं ऋणों आदि का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सकल आय एवं व्यय की सम्परीक्षा का दायित्व दिया गया है जिससे सम्परीक्षा के माध्यम से शासन एवं विधान मण्डल को यह ज्ञात होता रहे कि इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नहीं। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व भी हो जाता है।

4.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप निम्नवत् हैं :-

- 1- सम्परीक्षित स्थानीय निकायों, स्वायतशासी संस्थाओं, निगमित एवं अनिगमित निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों आदि के विविध लेखों की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं तथा शासन को सूचित करना।
- 2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।

- 3- उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।
- 4- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।
- 5- नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पैंशन एवं उपादान की पुष्टि एवं संस्तुति करना।
- 6- महालेखाकार को उपर्युक्त संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में संहत आख्या प्रस्तुत करना।
- 7- नगर पालिका परिषदों, जिला पंचायतों, नगर निगम, विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों के लेखाकार परीक्षा का आयोजन करना।
- 8- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।
- 9- सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिये उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 10- स्थानीय निकाय के लेखा कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।
- 11 विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठयाँ आयोजित करना।
- 12- धर्मादा सन्दान न्यासों के निधियों को विनियोजित करने तथा उन पर प्राप्त ब्याज को प्रादेशिक एवं भारत सरकार के न्यासों को संवितरण करना।
- 13- प्रभागीय कार्यकलापों सहित संहत वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 14- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।
- 15- सम्परीक्षाधीन स्थानीय प्राधिकारियों के अधिनियम एवं परिनियमों के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।
- 16- उपर्युक्त स्थानीय निकायों/ संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।
- 17- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5- <u>प्रभागीय आय-व्ययक :-</u>

5.1 यद्यपि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा स्थानीय निकायों स्वायतशासी संस्थाओं व अन्य निगमित एवं अनिगमित संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन है।

5.2 इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक आय-व्ययक के माध्यम से राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

5.3 लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निधारित दरों पर किया जाता है, जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें परिशिष्ट ''ग'' उत्तराखण्ड राज्य में लागू है।

<u>6- प्रभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :-</u> वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रभागीय व्यय एवं इस वर्ष में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय (रुपये	आरोपित सम्प० शुल्क (रु०)
1-	20009-10	2,29,66,874.00	3,86,10,071.00

6.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति (सर्विस नेचर) के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नहीं की जा सकती है।

<u>7.1- प्रभाग की प्रशासनिक व्यवस्था</u> :- उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा० सं० 5058/ वि०शा०स० /2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रुप में कार्यरत है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यत: द्विस्तरीय है :-

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची परिशिष्ट ''घ'' में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची परिशिष्ट ''ड.'' में दी गयी है।

<u>7.2-1- मुख्यालय स्तर :-</u> स्थानीय निधि लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है, जो निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड हैं जिन्हें अपने कार्यो के साथ-साथ पदेन रुप से कोषाध्यक्ष धर्मादा संदान उत्तराखण्ड तथा भारतीय धर्मादा सन्दान के उत्तराखण्ड वृत्त के कार्यो का भी सम्पादन करना पडता है।

7.2 -2 – मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-८ में दिया गया है। वर्तमान में जनपदों की प्रमुख बडी संस्थाओं जैसे :- नगर निगम, वन निगम, मण्डी परिषद, नगर पालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, मन्दिर समितियों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, इन निकायों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पैंशन एवं आनुतोषिक के सत्यापन एवं पुष्टीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – जनपद स्तरीय :- लेखा परीक्षाधीन इकाईयों राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। विभाग के लेखा परीक्षा कर्मी सभी जनपदों में नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित जनपद में स्थित परीक्षाधीन ईकाइयों की लेखा परीक्षा करते रहते हैं। उनके कार्यों पर स्थानीय नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु जनपद स्तर पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित हैं प्रदेश के 13 जिलों में से अब तक 09 जिलों में जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं। शेष जनपदों मं अभी तक जनपदीय कार्यालय नहीं खोले जा सके हैं। अतः निकटवर्ती जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा ही उन जनपदों के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

7.4 – राज्य स्तरीय :- शासनादेश संख्या वि०अनु० -1/2003 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंहनगर एवं वन विकास निगम नरेन्द्रनगर में सम्परीक्षा अधिकारियों के कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

8- प्रभाग की जनशाक्ति :- वर्ष 2009-10 के अन्त में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत
1-	समूह ''क''	04	0	00
2-	समूह ''ख''	16	9+1	56.25
3-	समूह ''ग'' (1) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	14	11	78.5
	(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-१	04	04	100
	(3) वरिष्ठ लेखा परीक्षक	82	08	9.7
	(4) लेखा परीक्षक	20	05	25
	(5) आशुलिपिक	03	00	0
	(6) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-१	0	0	0
	(7) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-२	03	03	100
	(8) मुख्य सहायक	08	07	87.5
	(9) प्रवर सहायक	12	03	25
	(10) कनिष्ठ सहायक	16	03	18.7
	(11) वाहन चालक	03	01	33.33
4-	समूह ''घ''	61	12	19.6
	योग	247	67	25.91

9- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित कार्य :- वर्ष 2009-10 में 77.67 प्रतिशत लेखा परीक्षा पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 990 लेखाओं में से 175 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण की गई। शेष 815 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नहीं करायी जा सकी। उक्त के अतिरिक्त शासन के आदेशानुसार महाकुम्भ, 2010 के अस्थायी कार्यों की सम्वर्ती सम्परीक्षा हेतु एक सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1 तथा दो वरिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा सम्पन्न करायी जा रही है।

10.1.1 – सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें :-

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2009-10 तक में सम्रीक्षित लेखाओं में उदघाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रु० 383576568.00 की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है तथा संस्थावार विवरण कार्यकारी खण्ड में दिया गया है।

क्रमांक	शीर्षक	धनराशि (रु० में)
1-	व्यपहरण	00
2-	अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय	14516229.00
3-	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें	15798225.00
4-	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	42511352.00
5-	आर्थिक क्षति	21286265.00
6-	राजस्व क्षति	4114103.00
7-	दुर्विनियोग	262324220.00
8-	अनानुमोदित व्यय	23026174.00
	योग	383576568.00

(ख) प्रदेश में स्थित सम्परीक्षाधीन संस्थाओं पर 31 मार्च, 2010 तक लम्बित आडिट आपत्तियों का विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष में संस्थाओं द्वारा मात्र 2180 आडिट आपत्तियों का निस्तारण कराया गया।

10.1.2 – विशेष सम्परीक्षाऐं :--

प्रभाग के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति से सम्बन्धित की विशेष जॉच, संस्था, अथवा जिलाधिकारी या आयुक्त के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2009-10 में उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसियेशन, रूद्रपुर उधमसिंहनगर की वर्ष 2003-04 की विशेष सम्परीक्षा सम्पन्न की गयी।

10.2.1 – सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :- वर्ष 2009-10 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :-

	(रुपयों में)
01 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भिक शेष	55349884.00
वर्ष में स्थापित माँग	38610071.00
योग	93959955.00
वर्ष में समाहरण	17412520.00
31 मार्च, 2010 को बकाया	76547435.00

10.2.2 - उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आरोपित लेखा परीक्षा शुल्क की वसूली करने का पूरा प्रयास किया गया। इन्ही प्रयासों के फलस्वरुप वर्तमान वितीय वर्ष में एक करोड चौहत्तर लाख बारह हजार पाँच सौ बीस रुपये की वसूली हुई है जिसमे गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित है उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम – 1984 की धारा 4(4) के अधीन केवल शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्बन्धित स्थानीय निधि/संस्थाओं के बैंकर्स को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आदेश दे सकते हैं कि उनके बैंक खातों से सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार के निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में अन्तरित कर दे। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड स्थानीय निधि/निकाय लेखा परीक्षा नियमावली, 2001 का प्रख्यापन होना अभी अपेक्षित है ताकि शुल्क वसूली हेतु नियमावली के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभाग स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

11. धर्मादा संदान निधि - चैरीटेबुल एण्डाउमेन्ट एक्ट 1890 (एक्ट आफ 1890) की धारा-3 के अधीन उत्तरांचल की भौगोलिक सीमा में स्थित न्यासों की परिसम्पतियों के लिये निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड को शासनादेश संख्या 163/xxvii(2)/2005 दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 द्वारा कोषपाल, खैरासी निधि नियुक्त किया गया है। इनका विवरण **परिशिष्ट ''छ''** में दिया गया है।

(1) वर्ष 2009-10 में प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज का 98 प्रतिशत रू0 250462.00 के भुगतान आदेश सम्बन्धित न्यासों को प्रेषित किये गये।

12- लेखाकार परीक्षा का आयोजन :- दिसम्बर, 2009 में जिला पंचायत लेखाकार परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें 09 परीक्षार्थियों द्वारा भाग लिया गया तथा 04 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये। दिसम्बर, 2010 में परीक्षा आयोजन हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

13- जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण

वर्ष 2009-10 में प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् थी :-

वर्ष के प्रारम्भ में शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में निस्तारित	अवशेष
08	1527	1497	38

14- निष्कर्ष -

उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2009-10 में 990 लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित करनी थी। जनशक्ति की भारी कमी के कारण सम्परीक्षा शुल्क देने वाली स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सम्परीक्षा को वरीयता देते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निश्चित करते हुए मात्र 175 लेखाओं की लेखा परीक्षा समाप्त करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं से सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित रु० 383576568.00 की गम्भीर वितीय अनियमिततायें प्रकाश में आयी जिनमें व्यपहरण, दुर्विनियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति, राजस्व की क्षांति आदि प्रकरण समाविष्ट हैं।

(जी0के0पन्त)
निदेशक

2- कार्यकारी खण्ड

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वर्ष 2009-10)

वर्ष 2008-09 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं। इन वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशियों के संस्थावार विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र० सं०	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि (रु० में)
1	नगर पालिका परिषदें	30114218.00
2	नगर पंचायतें	17906501.00
3	कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	13755603.00
4	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	995293.000
5	हायर सेकेण्ड्री/ इण्टर कालेज	313890.00
6	विश्वविद्यालय, सम्यर्ती सम्परीक्षा	310299689.00
7	इंजीनियरिंग कालेज	123507.00
8	उत्तराखण्ड गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि, काशीपुर	10067867.00
	योग	383576568.00

टिप्पणी :- विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ज'' में दिया गया है।

वर्ष 2009-10 में सम्पन्न सम्परीक्षायें

नगर पालिका परिषदें

1- नगर पालिका परिषद हरिद्वार (वर्ष 2008-09)

(1)- अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें-

उपसम्परीक्षा माहों में दैनिक/संविदा/नियत वेतन पर कर्मचारियों को रू0 11,61,690.00 भुगतान किया गया था। शासनादेश संख्या 1803/सा-02/2002 दिनांक 06.02.03 द्वारा तदर्थ/संविदा/ नियत वेतन/दैनिक वेतन पर नियुक्तियों को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया था।

(सम्परीक्षा आख्या भाग-2(ब) आपत्ति सं0 -1 (22)

(2)- राजस्व की क्षति से सम्बन्धित अनियमिततायें –

(i)- ठेका तहबाजारी 2008-09 श्री धर्मपाल ठेकेदार के नाम रू0 11,06,000.00 में स्वीकृत था। उक्त हेतु रू0 1,10,600.00 के स्थान पर मात्र रू0 100.00 के स्टाम्प लगाये गये थे। जिनके फलस्वरूप रू0 स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाले राजकीय राजस्व रू0 1,10,500.00 की क्षति हुयी।

(सम्परीक्षा आख्या भाग-2(ब) आपत्ति सं0 -1 (10)

(ii)- ठेका फूल फरोशी ठेकेदारों से निर्धारित दर से स्टाम्प न किये जाने के फलस्वरूप रू0 6,36,330.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुयी।

(सम्परीक्षा आख्या भाग-2(ब) आपत्ति सं0 -1 (17)

(iii)- ठेका तहबाजारी पन्त द्वीप, ठेका पार्किंग रोडी बेलवाला, ठेका पार्किंग भल्ला कालेज मैदान, ठेका तहबाजारी कावड मेला क्षेत्र, ठेका सलेज फार्म ठेकों में निर्धारित दर से स्टाम्प न लगाये जाने के फलस्वरूप रू0 4,05,773.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुयी।

(सम्परीक्षा आख्या भाग-2(ब) आपत्ति सं0 -1 (21)

2- नगर पालिका परिषद, नई टिहरी (वर्ष 2007-08)

(1) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें –

(अ) शासनादेशों के प्रावधानों के विपरीत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतनादि पर व्यय रू0 23,43,440.00 अनानुमोदित व्यय किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)(अ)

(ब) स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनादि पर रू0 11,98,971.00 का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)(इ)

3- नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर (वर्ष 2008-09)

(1) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें –

स्वीकृत पदों से संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतनादि पर व्यय रू0 2,13,360.00 सम्बन्धित शासनादेशों के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)

(2) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान –

विद्युत प्रकाश सामग्री का क्रय बिना क्रय समिति एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के बिना टेण्डर आमन्त्रण के किये जाने के फलस्वरूप भुगतान की गयी धनराशि रू0 1,56,094.00 अनियमित था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (घ)

4- नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी (वर्ष 2008-09)

(1) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें –

संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतनादि पर शासनादेशों में प्रतिबन्ध होने पर भी रू0 10,96,480.00 अनियमित व्यय किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख)(अ)

(2) आर्थिक क्षति –

वर्ष 2005-06 हेतु तहबाजरी ठेके को निरस्त करने के बाद अवशेष धनराशि रू0 1,54,000.00 वसूल नहीं किये जाने के कारण आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)(आ)

(3) दुर्विनियोग –

कुल प्रदत्त अस्थायी अग्रिम धनराशि रू0 2,54,200.00 का वर्षान्त तक असमायोजन होने के कारण दुर्विनियोग होने की सम्भावना थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (च)(आ)

5- नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ (वर्ष 2008-09)

अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –

1. नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 7 एवं 8 के प्रतिकूल फुटबाल प्रतियोगिता के आयोजन एवं शहरी विकास मंत्री के नागरिक अभिनन्दन पर क्रमशः रू0 54,730.00 एवं 43,080.00 कुल रू0 97,810.00 रू0 व्यय परिषद निधि पर उचित व्ययभार नहीं था।

प्रस्तर – 1 (क)(1)(2)

2. चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों के वर्दीक्रय में रू0 24,777.00 एवं विद्युत उपकरण क्रय में रू0 70,000.00 कुल रू0 94,777.00 रू0 अधिक भुगतान किया गया था।

प्रस्तर – 1 (ख)(3)

3. विभिन्न पत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन के फलरस्वरूप रू0 64,494.00 रू0 परिहार्य व्यय किया गया था।

प्रस्तर – 1 (ख)(5)

6- नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ (वर्ष 2007-08)

1. 31.03.08 से रू0 5,99,342.00 के अस्थायी अग्रिमों का असमायोजित रहने से धनराशि का दुर्विनियोग होने की पूर्ण सम्भावना थी।

प्रस्तर – 9 (ग)

7- नगर पालिका परिषद, सितारगंज (वर्ष 2007-08 से 2008-09)

अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –

1. 45 निर्माण कार्यों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक दरों पर भुगतान रू0 2,79,939.00 किये जाने से ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया।

भाग- दो (अ) प्रस्तर – 1

2. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त राशि का 50% नाला निर्माण में किया गया व्यय रू0 1,86,050.00 अनियमित था।

भाग- दो (अ) प्रस्तर – 2

3. 15 परियोजनाओं की राशि को बिना सरकारी स्वीकृत के ही अन्य परियोजनाओं पर व्यय रू0 40,55,870.00 धनराशि का दुरूपयोग किया जाना।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 11

8- नगर पालिका परिषद, रूद्रपुर (वर्ष 2007-08)

(1) अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –

स्वीकृत पदों के बिना 100 सफाई कर्मचारियों तथा विद्युत कर्मियों को संविदा पर नियुक्त करने के कारण रू0 5,13,305.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख)

(2) राजस्व की क्षति -

ठेकेदारों से निर्धारित मूल्य के स्टेम्प पेपर पर अनुबन्ध न कराने से रू0 2,76,700.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

(3) आर्थिक क्षति -

लाइसेंस शुल्क को विलम्ब से नवीनीकरण के कारण अर्थदंड की वसूली न किये जाने से रू0 76,525.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (घ)

9-नगर पालिका परिषद, खटीमा (वर्ष 2007-08)

(1) अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –

कर्मचारियों की वर्दी क्रय पर रू0 56,920.00 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 ख (1)

(2) आर्थिक क्षति-

1. दुकान नीलामी के फलस्वरूप निर्धारित प्रीमियम रू0 6,97,000.00 की वसूली न कराने से आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 घ (2)

2. तहबाजारी आदि ठेकों की वसूली न किये जाने से रू0 1,60,600.00 की क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 ख (3)

10- नगर पालिका परिषद, हल्द्वानी (वर्ष 2005-06 से 2007-08)

(1) आर्थिक क्षति -

1. गृहकर एवं सफाई कर माफ किये जाने से अर्थिक क्षति रूपये 1,83,494.00 वर्ष 2005-06 से 2007-08 में गृहकर व सफाई करें की वसूली न कर उन्हें अध्यक्ष कर समिति के आदेशानुसार क्षमा करें दिये जाने से पालिका को आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

2. संस्था द्वारा निम्न भवन स्वामियों के पूर्व निर्धारित मूल्यांकन को आलोच्य वर्ष 2005-06 में पुर्नमूल्यांकन कर अत्यधिक कम कर दिया गया, जिससे इन भवनों से मिलने वाले सफाई कर/गृहकर की धनराशि में कमी हो जाने के कारण पालिका को प्रतिवर्ष रू0 28,520.00 की आर्थिक क्षति हो रही थी। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 तक कुल रू0 85,560.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ड)

3. उ0प्र0 गजट विज्ञपित 989/टैकस 4 मई 1996 अनुसार आटो रिक्शा टूव्हीलर, ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी वाहन जो नगर में व्यवसाय कर रहें थे से रू0 360.00 प्रति वाहन लाइसेंस शुल्क लिया जाना था। परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों की संख्या 459 थी। संस्था द्वारा वर्ष 2007-08 तक मात्र तीन लाइसेंस बनाये गये थे। इस प्रकार 456 लाइसेंस न बनाये जाने से रू0 360.00 की दर से प्रतिवर्ष रू0 1,64,160.00 तथा तीन वर्षों में कुल रूपये 4,92,480.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (घ)

(2) <u>अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –</u>

आलोच्य वर्षों में कर्मचारियों/अधिकारियों की अनियमित रूप से 10 प्रतिशत की दर से मकान किराये भत्ते का भुगतान किये जाने के कारण मकान किराये भत्ते का कुल रू0 9,98,712.00 अधिक भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ब)

11- नगर पालिका परिषद, रामनगर (वर्ष 2005-06 से 2007-08)

(1) <u>आर्थिक क्षति -</u>

1. वर्ष 2005-06 में ठेका बड़ा मीट मार्केट सत्याडी स्वीकृत ठेकों की बकाया धनराशि रू0 615000.00 ठेकेदार श्री रफी उल कदर पुत्र जुल्फकार अहमद से 31 मार्च, 08 तक वसूल नहीं की गयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (ब) (ख)

2. वर्ष 2007-08 ठेका बड़ा मीट मार्केट गुलरघाटी की मांग समाहरण पंजी के अनुसार ठेकेदार जुल्फकार अहमद से वर्ष 2003-04 से रू0 1,09,100.00 वसूल नहीं किये जाने के कारण आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (ब)(ख)

3. संस्था द्वारा नगर के वार्ड न0 2 से वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के क्रमांक 521 से 638 तक भवन स्वामियों पर देय भवन कर की वसूली नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2007-08 तक कुल रू0 5,76,031.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) – छ

(2) <u>अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें-</u>

1. 31 मार्च 2008 तक पालिका कर्मचारियों की भविष्य निधि अंशदान की धनराशि रू0 4,97,924.00 जमा किया जाना शेष था। यह स्थिति अनियमित व कर्मचारियों के आर्थिक हितों के विपरीत था।

भाग- दो (ब) – 9(1)

2. 31 मार्च 2008 तक पालिका कर्मचारियों के पेंशन अंशदान का रू0 14,69,236.00 पेंशन अंशदान जमा न किया जाना कर्मचारियों के आर्थिक हितों के प्रतिकूल था।

भाग- दो (ब) – 2

12- नगर पालिका परिषद, भवाली (वर्ष 2005-06 से 2008-09)

अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता –

1. 31 मार्च, 2009 तक पालिका कर्मचारियों के पेंशन अंशदान की कुल रू0 8,62,800.00 जमा किया जाना शेष था। यह अनियमित एवं कर्मचारियों के आर्थिक हितों के प्रतिकूल था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (9)

13- नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर (वर्ष 2007-08)

(1) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता –

बिना पद सृजन के संविदा/दैनिक वेतन भोगी पद नियुक्ति कर्मचारियों पर रू0 25,85,880.00 का अनियमित व्यय किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1(ड.)

(2) राजस्व की क्षति –

विविध नीलामी ठेके में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने से रू0 46239 की राजस्व की क्षति हुयी।

14- नगर पालिका परिषद, जोशीमठ (वर्ष 2008-09)

अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें-

संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों पर 2,58,300.00 का अनियमित भुगतान किया जाना।

15- नगर पालिका परिषद, गदरपुर (वर्ष 2006-07 से 2008-09)

(1) अधिक/अनियमित/परिहार्य भुगतान –

वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में बिना पद सृजन के राज्य वित्त आयोग के अनुदान से वेतन भत्तों का भुगतान क्रमशः रू0 663367.00, रू0 732092.00 एवं रू0 798767.00 किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1(ग)

(2) राजस्व की क्षति –

नीलामी ठेकों के अनुबन्ध पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने से रू0 81,775.00 के राजस्व की क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1(च)

नगर पंचायतें

16- नगर पंचायत, बड़कोट (वर्ष 2008-09)

(1) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें -

(अ) संविदा/तदर्थ/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतनादि पर उपसम्परीक्षा माहों (नवम्बर, 08 व दिसम्बर, 08) में भुगतान की गयी कुल धनराशि रू0 59,330.00 सम्बन्धित शासनादेशों में लगाये गये प्रतिबन्धों के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

(ब) बिना पद स्वीकृति के दो राजस्व मोहर्रिरों की नियुक्ति के फलस्वरूप वेतनादि पर व्यय धनराशि रू0 2,06,666.00 का भुगतान अनियमित था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)(2)

(2) अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –

निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त अग्रिम धनराशि रू0 1,05,000.00 का वर्षान्त तक असमायोजन रहने से दुर्विनियोग की सम्भावना थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (घ)

17- नगर पंचायत, मुनिकीरेती (वर्ष 2008-09)

(1) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें -

संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतनादि पर उपसम्परीक्षा माहों में सम्बन्धित शासनादेशों में लगाये गये प्रतिबन्धों के विपरीत व्यय रू0 84,580.00 का अनियमित व्यय किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख)(1)

(2) आर्थिक क्षति –

पार्किंग ठेका की धनराशि रू0 1,20,000.00 पंचायत निधि में जमा नहीं करने से आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)(अ)

(3) राजस्व क्षति –

(अ) पार्किंग नीलामी तथा तहबाजारी ठेकों से आयकर की वसूली नहीं किये जाने के कारण रू0 58,545.00 की राजस्व की क्षति क्षति हुयी।

(ब) ठेका अनुबन्ध में निर्धारित स्टाम्प शुल्क नहीं लिये जाने कारण रू0 2,67,016.00 की राजस्व की क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)(द)

(4) <u>अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –</u>

प्रदत्त अग्रिम धनराशि रू0 83,000.00 के वर्षान्त तक असमायोजन रहने से धनराशि के दुर्विनियोग की प्रबल सम्भावना थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (घ)(ब)

18- नगर पंचायत, चम्बा (वर्ष 2008-09)

(1) <u>राजस्व क्षति -</u>

दिनांक 08.11.2000 से 30.08.2005 तक निर्धारित दर से स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने के कारण रू0 323726.00 की राजस्व क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)(आ)(1)

(2) <u>अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें –</u>

संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतनादि पर व्यय रू0 5,48,950.00 सम्बन्धित शासनादेशों में लगाये गये प्रतिबन्धों के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख)

19- नगर पंचायत, कीर्तिनगर (वर्ष 2008-09)

<u>अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –</u>

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत पार्किंग निर्माण हेतु ठेकेदार को प्रदत्त अग्रिम रू0 13,88,712.00 का वर्षान्त तक असमायोजन रहने से धनराशि की दुर्विनियोग की प्रबल सम्भावना थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

20- नगर पंचायत, देवप्रयाग (वर्ष 2008-09)

(1) <u>अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –</u>

बहुउददेशीय भवन/बारातघर निर्माण हेतु कन्सट्रक्शन कम्पनी को प्रदत्त अग्रिम धनराशि रू0 4,00,000.00 का वर्षान्त तक असमायोजन रहने से धनराशि की दुर्विनियोग की प्रबल सम्भावना थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (घ)

(2) <u>अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें –</u>

दैनिक वेतनभोगी इलेक्टशियन के 09 माह के वेतनादि का भुगतान रू0 24,300.00 सम्बन्धित शासनादेशों के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)

21- नगर पंचायत, डीडीहाट/पिथौरागढ (वर्ष 2007-08)

(1) अनुदान का दुर्विनियोग-

भूखण्ड का स्थानान्तरण एवं कब्जा प्राप्त किये बिना अवस्थापना निधि से मिनी स्टेडियम का निर्माण करके रू0 13,46,279.00 के अनुदान का दुर्विनियोग किया गया था।

प्रस्तर – 1 (क)

(2) अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –

पुराने पंचायत घर के ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री निकाय भण्डार में जमा न करने से रू0 64,265.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

प्रस्तर – 1 (ग) (2)

(3) आर्थिक क्षति-

भवन कर में अनियमित छूट देने से निकाय से रू0 72,708.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

प्रस्तर – 1 (ग)(3)

(4) राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें-

अवस्थापना विकास मद में दिनांक 25.04.06 (वर्ष 2006-07) में प्राप्त अनुदान रू0 56,19,000.00 दिनांक 31.03.08 तक उपभोग नहीं किया गया था।

22- नगर पंचायत, दिनेशपुर (वर्ष 2006-07 से 2008-09)

राजस्व की क्षति -

1. निर्धारित मूल्य के स्टेम्प पेपर अनुबन्ध न कराये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति रू0 1,44,300.00 हुयी।

भाग- दो (अ) प्रस्तर – 2

23- नगर पंचायत, कालाढूंगी (वर्ष 2007-08)

आर्थिक क्षति -

1. नीलामी ठेकों की धनराशि रू0 2,76,900.00 वसूल न किये जाने से आर्थिक क्षति।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

2. आलोच्य अवधि के अन्त में ठेका तहबाजारी का गत वर्षों में बकाया सहित रू0 1,72,300.00 वसूल न किये जाने से आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)

3. वर्ष 2007-08 को पार्किंग ठेका में वर्षान्त तक रू0 44,000.00 जमा किया जाना शेष .। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों का रू0 27,375.00 की वसूली नगर पंचायत द्वारा नहीं की गयी थी। इस प्रकार कुल रू0 71,375.00 की वसूली न किये जाने से नगर पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ड)

24- नगर पंचायत, लालकुआं (वर्ष 2008-09)

राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें -

अवस्थापना निधि का रू0 30,52,033.00 का उपभोग तिथि समाप्त होने के बाद समर्पण नहीं किये जाने से अनुदान के दुर्विनियोग की प्रबल सम्भावना थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

25- नगर पंचायत, भीमताल (वर्ष 2006-07 से 2008-09)

(1) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितताएं –

दैनिक/संविदा पर नियुक्ति कर भुगतान किया जाना शासनादेशों में लगाये गये नियुक्ति प्रतिबन्धों के विपरीत था उपसम्परीक्षा का माहों में कुल रू0 59,296.00 का भुगतान अनियमित था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 5

(2) राजस्व की क्षति –

आयकर रू0 1,13,353.00 तथा बिक्रीकर रू0 2,51,897.00 की कटौतियों की धनराशि राजकोष में जमा न किये जाने से राजस्व की रू0 3,65,250.00 क्षति।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 6

(3) राजकीय अनुदान से सम्बन्धित अनियमितता –

31 मार्च, 2009 को अवस्थापना निधि में कुल रू0 40,41,329.00 अवशेष था। जिसे समर्पित नहीं किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 9

26- नगर पंचायत, हरबर्टपुर (वर्ष 2008-09)

(1) अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –

श्री हरीश रावत ठेकेदार को अन्तिम बिल के साथ जमानत का भुगतान अनियमित रू0 460910.00 की क्षति।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (घ)

(2) <u>अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें –</u>

संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर शासनादेशों में प्रतिबन्धों के विपरीत पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान रू0 404933.00 किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)

(3) <u>राजस्व की क्षति –</u>

विविध नीलामी के ठेकों में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपरों में अनुबंध न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति रू0 100720.00/- हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ड)

27- नगर पंचायत, डोईवाला

(1) <u>अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें–</u>

1. वाहन भत्ते का अधिक भुगतान रू0 7700.00 किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

2. संविदा कर्मी के वेतनादि पर सम्बन्धित शासनादेशों में लगाये गये प्रतिबन्धों के विपरीत रू0 56700.00 अनियमित भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

(2) <u>राजस्व की क्षति –</u>

तहबाजारी ठेके में अनुबन्ध निर्धारित स्टाम्प शुल्क की दरों पर न कराये जाने से रू0 6448.00 की राजस्व की क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख)

कृषि उत्पादन मण्डी समितियां

28- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सितारगंज (वर्ष 2007-08 से 2008-09)

आर्थिक क्षति -

1. दिनांक 22.10.07 को आवंटित टेण्डरों के द्वितीय उच्च बोली दाता को अवसर प्रदान न करने से समिति को रू0 59,901.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 2

2. किरायेदारों से सेवा कर रू0 1,92,687.75 न वसूले जाने से आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 3

3. दुकानदारों/किरायेदार से अनुबंध के रूप में किराया वसूली न किये जाने से रू0 10,63,543.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 4

4. मण्डी शुल्क विलम्ब से जमा करने पर देय ब्याज रू0 33,241.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 6

29- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, खटीमा (वर्ष 2007-08 से 2008-09)

(1) राजस्व की क्षति -

1. सेवा कर की राशि को किरायेदार से न वसूले जाने के कारण रू0 1,24,925.00 की राजस्व की क्षति हुयी।

भाग- दो (अ) प्रस्तर – 1

2. कर्मचारियों को दिये गये भवन अग्रिम ब्याज की वसूली न किये जाने के कारण समिति को रू0 63,850.00 की आर्थिक क्षति।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 8

30- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गदरपुर (वर्ष 2007-08 से 2008-09)

आर्थिक क्षति -

विभिन्न फर्मों से मंडी शुलक पर प्राप्य ब्याज की धनराशि वसूल न किये जाने से रू0 16,630.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (अ) प्रस्तर – 1 (ग)

31- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रूद्रपुर (वर्ष 2008-09)

(1) विविध अनियमिततायें-

व्यापारियों एवं संस्थाओं पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस का 31 मार्च, 09 को बकाया रहने से रू0 1,19,98,547.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (अ) प्रस्तर – 1 (क)

(2) आर्थिक क्षति-

विभिन्न फर्मों से मंडी शुल्क पर प्राप्य ब्याज की वसूली न होने से रू0 37,181.72 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (अ) प्रस्तर – 1 (ग)

32- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बाजपुर (वर्ष 2008-09)

राजस्व की क्षति -

जून, 2007 से दुकानदारों से देय किराये की धनराशि पर रू0 12.36 प्रतिशत की दर से रू0 834127 पर सेवा कर न लिये जाने से रू0 10,3098.00 की राजस्व की क्षति हुयी।

भाग- दो (अ) प्रस्तर – 2

33- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, देहरादून (वर्ष 2008-09)

विविध अनियमिततायें –

वर्ष 2008-09 में कैन्टीन ठेका वर्ष 2007-08 की अपेक्षा कम दर पर दिये जाने से रू0 62000 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (अ) प्रस्तर – 1(क)

34- उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, रूद्रपुर (वर्ष 2006-07)

(1) अधिक/अनियमित/अमान्य/परिहार्य व्यय-

1. मैसर्स विमल ट्रान्सफार्मर कारपोरेशन को विद्युत सामग्री की आपूर्ति में कुटेशन की दरों के अतिरिक्त रू0 91908.00 कान्ट्रैक्टर प्राफिट तथा 2575.00 ढुलान व्यय का अधिक भुगतान किया गया था।

प्रस्तर – 9 (क) 11 (ग)

2. माह फरवरी 2006 में कार्यरत श्रमिकों को रू0 3248.00 तथा जून 2006 में कार्यरत श्रमिकों को रू0 29700.00 पारिश्रमिक के रूप में दोहरा भुगतान हुआ था।

प्रस्तर – 5 (ग) (घ)

3. श्री एन0एन0 बिष्ट को वाहन संख्या यू0पी0 04-339 का दिनांक 05.09.2006 से दिनांक 04.10.2006 तक किराया रू0 13000.00 का दोहरा भुगतान हुआ था।

प्रस्तर – 5 (ख)

4. सड़क निर्माण में रू0 209552.70 का पालीथीन प्रयुक्त दर्शाया गया था। पी0डब्ल्यू0डी0 शिडयूल में इस मद का प्राविधान नहीं था। पी0डब्ल्यू0डी0 शिडयूल की मदों में भिन्न उक्त मद की अनिवार्यता की पुष्टि नहीं हुयी। अतः भुगतान अनियमित था।

प्रस्तर – 8

5. उत्तराखण्ड वैटमिन्टन एसोसिएशन का रू0 50000.00 का मण्डी परिषद के उद्देश्यों के विपरित भुगतान किया गया था।

प्रस्तर – 40

(2) <u>अधिष्ठान सम्बंधी अनियमिततायें</u>-

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अवर अभियन्ता श्री के0के0रस्तौगी की उत्तर प्रदेश प्रतिनियुक्ति अवधि का पेंशन अंशदान रू0 29155.00 का भुगतान नियमानुसार नहीं था।

प्रस्तर – 14 (ख)

(3) <u>राजस्व की क्षति-</u>

निर्माण हेतु खनन सामग्री पत्थर आदि की रायल्टी का ठेकेदारों के विलों से कटौती नहीं किये जाने के कारण रू0 545320.00 की राजस्व क्षति हुयी थी।

प्रस्तर – 4

<u>शिक्षण संस्थायें</u>

<u>जू0 हा0/इ0 का0/डिग्री कालेज</u>

<u>35- महावीर जैन कन्या इ0का0, देहरादून (वर्ष 2002-03 से 2008-09)</u>

<u>अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें –</u>

मकान किराये भत्ते के रूप में रू0 313890.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1

विश्वविद्यालय, सम्वर्ती सम्परीक्षायें

36- हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढवाल) (वर्ष 2005-06)

(1) अनानुमोदित व्यय -

1. मानदेय के रूप में रू0 12,81,000.00 का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 10(1)

2. दैनिक वेतन/संहत वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर रू0 26,08,102.00 का अनानुमोदित व्यय किया जाना।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 10(2)

3. बी0एड0 प्रवेश परीक्षा खाते से रू0 8,03,741.00 मानदेय का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 10(3)

(2) अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –

1. प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु मैकेनिक/इलैक्ट्रीशियन, गैसमैन, ग्लास ग्लोबर, एनीमलकेचर, माली एवं स्वीपरों को शासनादेशों के विपरीत भुगतान किये जाने के फलस्वरूप रू0 95,955.00 का अनियमित भुगतान।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 11(ख)(7)

2. व्यक्तिगत आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से रू0 1,33,445.00 पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 11(ख)(9)

3. बादशाही थौल, टिहरी की आवासीय कालोनी में आवासीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों का विद्युत देयकों रू0 90,859.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 11(ख)(17)

4. रू0 1,03,140.00 विज्ञापन पर परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 11(ख)(22)

5. रू0 86,485.00 टैक्सी किराया/फुल टैक्सी हेतु अनियमित व्यय किया जाना।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 11(ख)(24)

6. विभागीय प्रयोगशाला मद से रू0 1,79,529.00 का कम्प्यूटर एवं फर्नीचर आदि का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 11(ख)(28)

7. श्री संतोष कुमार मंमगाई, पटवारी कम अमीन को मुख्य खाते के स्थान पर विकास खाते से रू0 80,733.00 वेतन का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 11(ख)(31)

8. रू0 1,74,698.00 व्यक्तिगत दूरभाष एवं मोबाइल बिलों का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 11(ख)(33)

9. विद्युत विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना समय-समय पर विद्युतकर्मी नियुक्त करके उनके पारिश्रमिक पर रू0 1,49,395.00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 11(ख)(23)

(3) <u>आर्थिक क्षति -</u>

शासनादेश के विपरीत विश्वविद्यलाय के प्रशासनिक व्यय मुख्य खाते को स्ववित्तपोषित पाठयक्रमों से प्राप्त आय के 40 प्रतिशत हस्तानान्तरित न किये जाने के कारण रू0 34,07,531.00 की क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 6(1)

(4) <u>राजस्व की क्षति-</u>

विश्वविद्यालय को उपकरण फर्नीचर व अन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले फर्मो/ऐजन्सियों से तथा विश्वविद्यालय से तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य शिक्षकों से आयकर की कटौती न किये जाने के फलस्वरूप रू0 4,16,718.00 की राजस्व क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 6(4)

<u>37- गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, सामान्य लेखा, पन्तनगर, जिला उधमसिंहनगर (वर्ष 2003-04)</u>

(1) <u>दुर्विनियोग –</u>

1- प्रसार शिक्षा के अन्तर्गत रू0 7,58,997.00 एवं नियंत्रक कार्यालय के अधीन सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत रू0 127280.00 के कुल रू0 886277.00 असमायोजित अस्थायी अग्रिमों को आगामी वर्षों में अग्रेसीत नही किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (5) (12)

2- निदेशक, प्रसार शिक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु वास्तविक व्यय की अपेक्षा दो से तीन गुना अधिक धनराशि अस्थायी अग्रिम के रूप में स्वीकृत कर रू0 2,78,815.00 के राजकीय अनुदानों का अस्थायी दुर्विनियोग किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (6)

3- उपनिदेशक, विद्युत, उपनिदेशक निर्माण, उपनिदेशक जलखण्ड द्वारा दीर्घ अवधि तक क्रमशः रू0 80998.00, रू0 63,77,705.00 एवं रू0 2988.00 के अस्थायी अग्रिमों की कुल धनराशि (अवशेष) रू0 6461691.00 को जमा न कर राजकीय धन का दुर्विनियोग दुर्विनियोग किये जाने की पूर्ण सम्भावना थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (7)(8)(9)(10)(11)

4- सम्परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी अस्थायी अग्रिम पंजियों तथा कम्प्यूटर द्वारा 31-3-2004 को तैयार की गयी असमायोजित अस्थायी अग्रिमों की सूची के अनुसार विभिन्न् कर्मचारियों/शिक्षकों/अधिकारियों पर वर्ष 1969-70 से 2003-04 तक की अवधि के अस्थायी अग्रिमों की धनराशि रू0 25,24,97,616.00 असमायोजित थी, जिसे समायोजित न करने के कारण उक्त धनराशि 40 वर्षों से दुर्विनियोग किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (155)

(2) <u>आर्थिक क्षति-</u>

1- 32.85 कुन्तल उच्च गुणयुक्त धान (बीडर) बीज निर्धारित मूल्य रू0 2000 प्रति कुन्तल को व्यावसायिक रूप में रू0 450.00 प्रतिकुन्तल बेचने के फलस्वरूप रू0 50918.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (45)

2- पन्तनगर टेलीफोन एक्सचेंज से प्राप्त 48 माहों का किराया @ 6703 लिये बिना मांग पंजी में मांग अग्रेनीत न किये जाने के कारण रू0 45950.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (39)

3- विभिन्न अधिकारियों को आवंटित वाहनों का मासिक व्यय कटौती न किये जाने के कारण रू0 484900.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (65)

(3) <u>अनानुमोदित व्यय –</u>

1- विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कतिपय मदों में उनको आंवटित बजट से (रू0 3,40,193 + 13,50,891)= रू0 1691084.00 का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (14) (15)

2- पन्त प्रोद्योगिकी महाविद्यालय में संविदा पर नियोजित टीचिंग पर्सनल्स के पारिश्रमिक का भुगतान वेतन एवं भत्ते मद से किए जाने के कारण रू0 3,31,700.00 का अनानुमोदित व्यय था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (15) (16)

3- 2001-02 में रू0 4250000.00 का लाभांश प्राप्त न होने पर भी पुनः रू0 1750000.00 का शेयरों में अतिरिक्त विनियोजन आर्थिक हितों के प्रतिकूल था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 140(4)

(4) <u>अधिष्ठान से सम्बन्धित अनियमितताएं -</u>

1- श्री रमेशपाल सिंह अपर अभियन्ता को 01.01.96 से 15.12.96 तक बकाया के रूप में रू0 43834.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (17)

2- उदयान्त महाविद्यालय में माली के पद पर कार्यरत नौ कर्मचारियों को मकान किराये के रूप में रू0 8460.00 प्रतिवर्ष का अधिक भुगतान किया जा रहा है।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (19)

3- पन्तनगर इण्टर कालेज के विभिन्न शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के रूप में रू0 75682.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (24)

4- पर्वतीय परिसर, रानी चौरी के बजट से पन्तनगर परिसर के 25 कर्मचारियों का वेतन भुगतान किये जाने के कारण रू0 669516.00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (73)

(5) <u>राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें-</u>

1. निदेशक चावल अनुसंस्थान केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त अनुदानों राजकीय अनुदानों की शर्तों का विचलन करने के कारण रू0 101620.00 का अमान्य व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (138)

2. वर्ष 1996-97 से वर्ष 2001-02 के मध्य प्राप्त अनुदानों की अप्रयुक्त धनराशि रू0 88,74,403.00 को वापस नहीं किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 140(8)

3. एन0आर0आई0 छात्रों से प्राप्त शुल्क को महाविद्यालय की विभागीय आय में सम्मिलित न करते हुये शासन से वर्ष 1998-99 से 2003-04 के मध्य कुल रू0 23875000.00 का अधिक अनुदान आहरित किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (156)

(6) <u>अधिक अनियमित व्यय/अमान्य व्यय/परिहार्य व्यय –</u>

मैनुअल छपाई हेतु प्रिन्टिग प्रेस नगला की निम्न निविदा दर रू0 48672.00 के स्थान पर उच्च दर से आर्मी प्रिन्टिग प्रेस लखनउ की निविदा रू0 107416.00 पर कार्य कराने के कारण रू0 60892.00 की आर्थिक हानि हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (67)

इंजीनियरिंग कालेज

38- के0एल0पालिटैक्निक, रूडकी जनपद हरिद्वार (वर्ष 2008-09)

अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें –

विभिन्न कार्मिकों को रू0 1,23,507.00 का अधिक भुगतान-

श्री विजय सिंह, प्रवक्ता श्री चन्द्र मोहन वर्मा, प्रवक्ता श्री रवीन्द्र कुमार प्रवक्ता, श्री अरूण प्रसाद गोयल, कार्यालय अधीक्षक एवं श्री कली राम, ज्येष्ठ लिपिक को निम्न वेतनमान में पदोन्नति पर अनियमित रूप से एक वेतनवृद्वि का लाभ देकर वेतन निर्धारण किये जाने के फलस्यरूप वेतन एवं मंहगाई भत्ते का क्रमशः रू0 34,392.50, रू0 30,660.00, रू0 30,660.00, रू0 15,605.50 तथा रू0 11,789.00 कुल रू0 1,23,507.00 अधिक भुगतान किया गया।

(सम्परीक्षा आख्या भाग-2(ब) आपत्ति सं0 -1 (क)

39- उत्तराखण्ड गन्ना अनुसंस्थान एवं विकास निधि काशीपुर उधमसिंहनगर (वर्ष 2001-02 से 2007-08)

(1) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें-

1. श्री कैलाश चन्द्र तिवारी गन्ना विकास निरीक्षक (सां0) को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत वैयक्तिक वेतन का रू0 10529.00 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (3)

2. मकान किराया भत्ता अधिक/अनियमित भुगतान रू0 57338.00 किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 8(अ)

(2) आर्थिक क्षति-

किसान सहकारी चीनी मिल सितारगंज को ऋण स्वरूप दी गयी धनराशि रू0 एक करोड़ की वसूली नहीं दिये जाने से आर्थिक क्षति।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (19)

परिशिष्ट ''क'' भाग-I

(प्रस्तर- 3 में सन्दर्भित)

उपसम्परीक्षा के लेखे –

क्र०सं०	लेखे की श्रेणी	लेखाओं की संख्या
1-	नगर निगम	01
2-	नगर पालिका परिषद	32
3-	नगर पंचायतें	32
4-	विकास प्राधिकरण	05
5-	विश्वविद्यालय	05
6-	डिग्री कालेज	16
7-	इण्टर कालेज	209
8-	जूनियर हाई स्कूल	213
9-	संस्कृत पाठशालायें	70
10-	कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	20
11-	ट्रस्ट लेखे	42
12-	विविध लेखे	279
13-	उत्तरांचल संस्कृत अकादमी	01
14-	बेसिक शिक्षा समितियाँ	13
15-	वन विकास निगम	01
16-	उत्तरांचल चाय बोर्ड	01
17-	पैंशन निधियाँ	14
18-	उत्तराखण्ड गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि काशीपुर	01
19-	जल संस्थान	01
20-	राष्ट्रीय सेवा योजना	18
योग		974

परिशिष्ट ''क'' भाग-2

(प्रस्तर-3.1 में सन्दर्भित)

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षायें :-

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा)	01
(2) -------तदैव------ (फार्म लेखा)	01
(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल।	01
(4) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर।	01
योग	04

(ख) शत-प्रतिशत सम्परीक्षाधीन लेखें :-

(1) इन्जीनियरिंग कालेज		02
(2) मन्दिर समितियॉं		03
(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के लेखे		07
(क) विश्वविद्यालय	04	
(ख) माध्यमिक शिक्षा	02	
(ग) प्राविधिक शिक्षा	01	
योग		12
महायोग		16

परिशिष्ट ''ख''

(प्रस्तर-3.2 में सन्दर्भित)

लेखे का नाम एवं सम्बन्धित अधिनियम :-

1- नगर निगम	नगर निगम अधिनियम 1959
2- नगर पालिकायें	नगर पालिका अधिनियम 1916
3- नगर पंचायतें	---तदैव---
4- (क) कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम-1964
(ख) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	---तदैव---
5- (क) जिला बेसिक शिक्षा समितियाँ	उ०प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972
(ख) बेसिक शिक्षा परिषद	---तदैव---
6- राज्य विश्वविद्यालय	उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 1973
7- विकास प्राधिकरण	उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973
8- वन निगम	उ०प्र० वन निगम अधिनियम-1974
9- महाविद्यालय, इण्टर कालेज	वेतन वितरण अधिनियम, शिक्षा संहिता एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम।
10- कृषि विश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 एवं तदधीन बनाये गये नियम/परिनियम/अध्यादेश।
11- जल संस्थान	उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा अधिनियम 1984 की धारा 2(ग) तथा उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 50 के अधिन।

वित्तीय - विनियमावलियाँ

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पाँच,छः	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
बजट मैनुअल	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेशों का संकलन	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।

परिशिष्ट ''ग''

(प्रस्तर-5.3 में सन्दर्भित)

शासनादेश संख्या आडिट -1892/दस-78-355(10) दिनांक 21 जून, 1978 द्वारा सम्प्रेक्षेय लेखाओं पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की दरें :-

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	05 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 2500.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर	रु० 100.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500.00

(ख) उप सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर	रु० 30.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75.00

(ग) विविध लेखाओं हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) कुल आय पर	0.75 प्रतिशत
(2) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75.00

(घ) विश्वविद्यालय की उप सम्परीक्षा हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000=00 या उसके अंश पर	रु० 30.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500.00

(च) शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दरें वही हैं जो सम्वर्ती सम्परीक्षा हेतु निर्धारित हैं।

(च) विशेष सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

एतदर्थ कोई दर निर्धारित नहीं है। सम्परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं लेखन सामग्री आदि का वास्वविक व्यय संस्था से वसूल किया जाता है।

परिशिष्ट ''घ''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

क्र०सं०	जनपद का नाम	पता	दूरभाष संख्या
1	देहरादून	8-ए बंगाली मौ० करनपुर, देहरादून।	0135-2744075
2	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद, हरिद्वार पिनकोड	01344-220955
3	टिहरी (गढवाल)	विकास भवन, नई टिहरी 249148	01376-232805
4	पौड़ी (गढवाल)	माल रोड, पौड़ी	01368-223477
5	चमोली	पैट्रोल पम्प, नगर पालिका परिषद के नीचे गोपेश्वर (चमोली)	01372- 251486
6	उधमसिंह नगर	पुराना कोषागार भवन किच्छा बाइपास रोड आकांक्षा शोरूम के पास रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)	05944-244807
7	नैनीताल	हरिनिवास मिडिल अयारपाटा मल्लीताल, नैनीताल। पिनकोड-263001	05942-237781
8	अल्मोड़ा	गोविन्द आश्रम, रानीधारा मार्ग अल्मोड़ा। पिनकोड-263601	05962-233886
9	पिथौरागढ़	उपाध्याय भवन, टकाना रोड पिथौरागढ़। पिनकोड-262522	05964-22857
10	देहरादून	वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन-73 नेहरू रोड देहरादून	-

परिशिष्ट ''ड.''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :-

(1) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (सामान्य लेखा) कुमायूं।

(2) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (फार्म लेखा) कुमायूं।

(3) सहायक निदेशक, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढवाल)।

राज्य स्तरीय कार्यालय :-

(1) लेखा परीक्षा अधिकारी, वन विकास निगम, नरेन्द्रनगर (अस्थायी मुख्यालय, देहरादून)।

(2) लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उधमसिंह नगर।

परिशिष्ट ''छ''

प्रान्तीय न्यासों की सूची

(प्रस्तर-11.1 में सन्दर्भित)

1- तारक जयन्ती, गोल्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, अल्मोडा।

2- पं0 ईश्वरी दत्त जोशी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ट, अल्मोडा।

3- पदमा जोशी फण्ड, अल्मोडा।

4- लक्ष्मी देवी मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, चम्पावत।

5- हरिनन्दन पुनेठा स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, चम्पावत।

6- विक्ट्रो मेमोरियल एक्स सोल्जर्स वेनीवोलेंट फण्ड, अल्मोडा।

7- नार्थ वेस्टर्न रेलवे स्कूल ट्रस्ट फेयरलोन, मसूरी।

8- राजकृष्ण विद्यायती छात्रवृत्ति विन्यास न्यास, देहरादून।

9- टी0सी0 मुकर्जी, होम्योपैथिक डिस्पेंसनरी एण्ड हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून।

10- स्टावेल मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

11- गढवाल सेनिटनरी स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

12- आर0 मिस्टिस डे एण्डाउमेंट ट्रस्ट यू0पी0, गढवाल।

13- गढवाल क्ले मैमोरियल स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, कर्णप्रयाग।

14- राय महावीर प्रसाद शाह बहादुर धर्मशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

15- चन्द्र बल्लभ मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

16- पं0 तारादत्त खंडूरी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

17- ठाकुर शालिग्राम सिंह परमार स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

18- गोविन्द पाठशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

19- विक्ट्री मैमोरियल गढवाली एक्स सिर्विसेजर वेनीबोलेंट फण्ड।

20- श्रीमती सुशीला काला, छात्रवृत्ति न्यास, रूद्रप्रयाग।

21- कुमाउ एण्ड भांवर कल्टिवेटर्स ट्रस्ट फण्ड, नैनीताल।

22- बच्चा सीडसइण्डिजेण्ट पापर ट्रस्ट फण्ड, हल्द्वानी।

23- रैमजे हास्पिटल ट्रस्ट, नैनीताल।

24- बांकेलाल बनवारी लाल हुण्डीवाले स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, नैनीताल।

25- राधेहरि स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, उधमसिंहनगर।

26- लाला चेतराम शाह ठुलगरिया एजुकेशन एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

27- राय साहब पं0 नारायण दत्त एवं देवीदत्त चिमवाल स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

28- श्री संकट मोचन हनुमान मन्दिर हनुमानगढ, नैनीताल।

29- श्री कैंची हनुमान तथा आश्रम ट्रस्ट, नैनीताल।

30- टामसन कालेज टेस्टोमोनियल फण्ड एण्डाउमेंट, रूडकी।

31- विजयानगरम स्कालरशिप इन टामस इंजीनियरिंग कालेज।

32- फेयरलो मैमोरियल फण्ड।

33- कैलकाट रैलो मैमोरियल फण्ड।

34- सुल्लीवान स्कालरशिप एण्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट ।

35- जनरल अप्रैन्टिस फण्ड, रूडकी वर्कशाप।

36- बैजनाथ स्कालरशिप फण्ड।

37- फ्रांसिस शैमियर स्कालरशिप फण्ड।

38- गंगादेवी स्कालरशिप एण्डाउमेंट।

39- सुशीला एण्ड जे मित्रा मैमोरियल सिल्वर मेडल फण्ड।

40- सदर डिस्पेंसरी फण्ड, रूडकी।

41- रामचन्द्र स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट।

42- गवर्नमेंट आरमन शैमियर हाईस्कूल ट्रस्ट फण्ड।

43- लाला पूरनमल सिल्वर मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

44- शीलप्रिया मैमोरियल (स्वीमिंग) ट्रस्ट।

45- श्रीमती सरस्वती बिष्ट स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोडा।

46- गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट, देहरादून।

केन्द्रीय न्यासों की सूची

(1) गढवाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि।

परिशिष्ट''ज''

(कार्यकारी खण्ड में सन्दर्भित)

नगर पालिका परिषदें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पालिका परिषद हरिद्वार	2008-09	-	-	1161690	-	-	1152603		-	2314293
2	नगर पालिका परिषद नई टिहरी	2007-08	-	-	3542411	-	-	-		-	3542411
3	नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर	2008-09	-	156094	213360	-	-	-		-	369454
4	नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी	2008-09	-		1996480	-	154000	-	254200	-	2404680
5	नगर पालिका परिषद पिथौरागढ	2007-08 से 2008-09	-	257081	-	-	-	-	599342	-	856423
6	नगर पालिका परिषद सितारगंज	2007-08 से 2008-09	-	4521859	-	-	-	-	-	-	4521859
7	नगर पालिका परिषद रूद्रपुर		-	513305	-	-	76525	276700	-	-	866530
8	नगर पालिका परिषद खटीमा	2005-06 से 2007-08	-	56920	-	-	857600		-	-	914520
9	नगर पालिका परिषद हल्द्वानी	2008-09	-	998712	-	-	761534		-	-	1760246
10	नगर पालिका परिषद रामनगर	2005-06 से 2007-08	-	1300131	1967160	-	3267291		-	-	6534582
11	नगर पालिका परिषद भवाली	2005-06 से 2008-09	-	-	862800	-	-		-	-	862800
12	नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर	2007-08	-	-	2585880	-	-	46239	-	-	2632119
13	नगर पालिका परिषद, जोशीमठ	2008-09	-	-	258300	-	-		-	-	258300
14	नगर पालिका परिषद, गदरपुर	2006-07 से 2008-09		2194226	-	-	-	81775	-	-	2276001
	योग	-	-	9998328	12588081	-	5116950	1557317	853542	-	30114218

नगर पंचायतें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पंचायत हरबर्टपुर	2008-09	-	460910	404933	-	-	100720		-	966563
2	नगर पंचायत कीर्तिनगर	2008-09	-	1388712	-	-	-	-		-	1388712
3	नगर पंचायत लण्ठौरा		-	-	-	-	-	-		-	
4	नगर पंचायत मुनकीरेती	2008-09	-	83000	84580	-	120000	325561	-	-	613141
5	नगर पंचायत देवप्रयाग	2008-09	-	400000	24300	-	-	-		-	424300
6	नगर पंचायत कीर्तिनगर	2008-09	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	नगर पंचायत बड़कोट	2008-09	-	105000	265996	-	-	-	-	-	370996
8	नगर पंचायत गंगोत्री	2008-09	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	नगर पंचायत चम्बा	2008-09	-	-	548950	-	-	323726	-	-	872676
10	नगर पंचायत डीडीहाट/पिथौरागढ	2008-09	-	64265		5619000	72708		1346279	-	7102252
11	नगर पंचायत दिनेशपुर	2006-07 से 2008-09	-	-	-	-	-	144300	-	-	144300
12	नगर पंचायत कालीढुंगी		-	-	-	-	520275		-	-	520275
13	नगर पंचायत भीमताल		-	-	59296	4041329		365250	-	-	4465875
14	नगर पंचायत हर्बटपुर		-	460910	404933			100720	-	-	966563
15	नगर पंचायत डोईवाला		-		64400			6448	-	-	70848
16	नगर पंचायत द्वाराहाट		-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग		-	2962797	1857388	9660329	712983	1366725	1346279	-	17906501

कृषि उत्पादन मण्डी समितियां

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अनानुमोदित एवं विविध अनियमितताएं	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	कृषि उत्पादन मण्डी खटीमा	2007-08 से 2008-09	-	-	-	-	63850	124925	-	-	-	188775
2	कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गदरपुर	2007-08 से 2008-09	-	-	-	-	16630	-	-	-	-	16630
3	कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रूद्रपुर	2008-09	-	-	-	-	37181	-	-	-	11998547	12035728
4	कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बाजपुर	2008-09	-	-	-	-	-	103098	-	-	-	103098
5	कृषि उत्पादन मण्डी देहरादून	2008-09	-	-	-	-	-	-	-	-	62000	62000
6	कृषि उत्पादन मण्डी समिति जसपुर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कृषि उत्पादन मण्डी समिति सितारगंज	2007-08 से 2008-09	-	-	-	-	1349372	-	-	-	-	1349372
	योग	-	-	-	-	-	1467033	228023	-	-	12060547	13755603

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद रूद्रपुर	2006-07	-	399973	50000	-	-	545320	-	-	995293
	योग	-	-	399973	50000	-	-	545320	-	-	995293

शिक्षण संस्थायें

जू0 हा0/इ0 का0/डिग्री कालेज

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	महावीर जैन कन्या इण्टर कालेज	2002-03 से 2008-09	-	-	313890	-	-	-	-	-	313890
	योग	-	-	-	313890	-	-	-	-	-	313890

विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षायें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित/परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	हे०न०ब० गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढवाल	2005-06	-	1094239	-	-	3407531	416718	-	4692843	9611331
2	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	2003-04	-	60892	797492	32851023	581768	-	260124399	6272784	300688358
	योग	-	-	1155131	797492	32851023	3989299	416718	260124399	10965627	310299689

इंजीनियरिंग कालेज

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित/परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	के०एल०पालीटेक्निक रुड़की, जनपद हरिद्वार	2008-09	-	-	123507	-	-	-	-	-	123507
	योग	-	-	-	123507	-	-	-	-	-	123507

उत्तराखण्ड गन्ना अनुसंधान विकास निधि

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उत्तराखंड गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि, काशीपुर	2001-02 से 2007-08	-	-	67867		10000000				10067867
	योग	-	-	-	67867	-	10000000	-	-	-	10067867

सारांश

क्र० सं०	लेखे का नाम	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नगर पालिका परिषदें	-	9998328	12588081	-	5116950	1557317	853542	-	30114218
2	नगर पंचायतें	-	2962797	1857388	9660329	712983	1366725	1346279	-	17906501
3	कृषि उत्पादन मण्डी समितियों	-	-	-	-	1467033	228023	-	12060547	13755603
4	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	-	399973	50000	-	-	545320	-	-	995293
5	शिक्षण संस्थायें	-	-	313890	-	-	-	-	-	313890
6	विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षा	-	1155131	797492	32851023	3989299	416718	260124399	10965627	310299689
7	इन्जीनियरिंग कालेज	-	-	123507	-	-	-	-	-	123507
8	उत्तराखण्ड गन्ना अनुसंधान विकास निधि, काशीपुर	-	-	67867	-	10000000	-	-	-	10067867
	योग	-	14516229	15798225	42511352	21286265	4114103	262324220	23026174	383576568

उत्तराखण्ड शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग-2

(सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)

वर्ष

2009-10

प्रतिवेदक: निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर,उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग–2
(सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)

(1)–प्रशासनिक खण्ड

क्र0 सं0	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1.	विभागीय प्राधिकार के श्रोत	2.1	1
2.	सम्परीक्षाधीन लेखे	3.1–3.2	1
3.	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1–4.2	1–3
4.	प्रभागीय आय–व्ययक	5.1–5.3	3
5.	वित्तीय वर्ष 2009–10 में अवधारित सम्परीक्षा शुल्क	6	3
6.	विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1–7.2.3	4
7.	प्रभाग की जनशक्ति	8	5
8.	सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2009–10 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	5
9.	सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें	10.1.1	6
10.	विशेष सम्परीक्षा प्रतिवेदन	10.1.2	6
11.	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1 से 10.2.2	6–7
12.	निष्कर्ष	11	7
	(2)–कार्यकारी खण्ड	–	8–24
	(3)–परिशिष्ट क, ख, ग, घ, व अन्य	–	25–31

प्रशासनिक खण्ड

1- उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 एवं उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अधीन सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्पादित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 में सम्पादित लेखा परीक्षा के आधार पर वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 विधान सभा पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

2- विभागीय प्राधिकार के स्रोत :-

2.1 उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 तथा उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम संख्या 223 से 242 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार कराये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 तथा पंचायत राज नियमावली 1956 के नियम 186, 187 व 188 में ग्राम सभा, न्याय पंचायतों की लेखा परीक्षा कराने का प्रावधान है। उ०प्र० जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली 1999 के नियम 2 के अनुसार जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायते प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था है।

3- सम्परीक्षाधीन लेखे -

3.1 वर्ष 2009-10 में सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं की संख्या 2736 और पंचायत राज संस्थाओं की संख्या 7394 थी। संस्थाओं के विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" भाग "एक" में दिये गये है।

3.2 सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिनके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची परिशिष्ट "ख" में दी गयी है।

4- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य –

4.1 सम्परीक्षा का कार्य संस्था के वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व है। राज्य की सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सन्तुलन पत्रों की जांच एवं प्रमाणीकरण के साथ-साथ लेखा परीक्षा इस दृष्टिकोण से भी की जाती हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितनी सफल रही हैं और संस्था का सामान्य प्रशासन अधिनियम,

नियमावली, उपविधियों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी राजाज्ञाओं तथा परिपत्रों के अनुसार ही संचालित किया जा रहा है। संस्थाओं की आर्थिक एवं सामान्य प्रशासन की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक, सहकारी समितियाँ द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थाओं का वर्गीकरण भी किया जाता है।

इसी प्रकार पंचायत राज संस्थाओं को दिये गये वित्तीय अनुदान आदि का उपभोग शासन द्वारा जारी निर्देशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरुप किया गया हैं अथवा नही और इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही हैं अथवा नहीं, इसकी समीक्षा भी लेखा परीक्षा में की जाती है।

4-2 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप:

1- सम्परीक्षाधीन सहकारी समितियों व पंचायत राज संस्थाओं के विविध लेखाओं की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं एवं शासन को सूचित करना।

2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।

3- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।

4- सम्परीक्षित संस्थाओं (पंचायत संस्थाओं के अतिरिक्त) के वार्षिक आय-व्यय, रोकड पत्र एवं लाभ-हानि खाता का प्रमाणीकरण एवं सन्तुलन पत्र के अपवादों को लेखांकित करना।

5- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरुप सहकारी संस्थाओं को उनके कार्य परिणाम के आधार पर वर्गीकृत करना।

6- सहकारी संस्थाओं में नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप अशोध्य व संदिग्ध परिसम्पत्तियों का आंकलन करना।

7- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।

8- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उसे राजकीय कोषागार में जमा कराना।

9- सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत प्राधिकारियों के अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरुपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिभार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को विशेष प्रतिवेदन निर्गत करना।

10- उपर्युक्त सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।

11- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

5- प्रभागीय आय-व्ययक:-

5.1- यह प्रभाग उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन हैं और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी सेवक है।

5.2- इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियॉं प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक बजट से, राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धनराशि प्राप्त होती है।

5.3- लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य व वर्तमान समय में नाम मात्र स्रोत है। सम्परीक्षा समाप्ति के उपरान्त सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता हैं जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें (**परिशिष्ट 'ग'**) उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है। अतः राजकीय कोष में अभिवृद्धि हेतु शासन स्तर से पुनः निर्धारण किया जाना उचित होगा।

6- वित्तीय वर्ष 2009-10 में अवधारित सम्परीक्षा शुल्क

वित्तीय वर्ष 2009-10 में अवधारित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति है:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	अवधारित सम्परीक्षा शुल्क (रू0)	राजकीय कोष में जमा धन राशि
1-	2009-10	5665942.00	4953301.00

7-1 विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था:-

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शा०सं० 5058/ वि०शा०स०/ 2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के नियन्त्रणाधीन कार्यरत हैं जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यत: द्वि-स्तरीय है:-

(1) मुख्यालय स्तरीय।
(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची परिशिष्ट "घ" में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी हैं जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची परिशिष्ट "घ-1" में दी गयी है।

7.2-1- मुख्यालय स्तर:-

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून में स्थित है।

7.2-2- मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-8 में दिया गया है। जनपदों की प्रमुख संस्थाओं जैसे राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, दुग्ध संघ, जिला सहकारी संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, सहकारी चीनी मिलें, सहकारी भेषज संघ आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा कार्य का पर्यवेक्षण, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.2-3- जनपद स्तरीय:-

लेखा परीक्षाधीन इकाईयां राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। सभी 13 जनपदों में सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा के जनपदीय कार्यालय हैं जिनमें कार्यालयाध्यक्ष जिला लेखा परीक्षा अधिकारी है। इनके अधीन नियुक्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-I, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक व लेखा परीक्षक जनपदों में संस्थाओं की लेखा परीक्षा सम्पन्न करते है।

8- प्रभाग की जनशक्ति:-

वर्ष 2009-10 के अन्त में प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है:-

क्र०सं०	अधिकारी/ कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत सं०	रिक्त पद सं०
1-	समूह "क"	04	01	03
2-	समूह "ख"	18	12	06
3-	समूह "ग" :-			
	सहा०ले०प०अ०	35	35	-
	ज्ये०ले०परीक्षक ग्रेड-1	09	-	09
	ज्ये०ले०परीक्षक	221	33	188
	लेखा परीक्षक	55	09	46
	योग लेखा परीक्षा कर्मी-	320	77	243
	लिपिक वर्ग	60	22	38
4-	समूह "घ"	35	10	25
-	कुल योग	437	122	315

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रभाग में जनशक्ति की कमी लगातार बनी हुई है। अस्तु कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु रिक्त पदों को भरा जाना अत्यन्त आवश्यक है।

9- सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य:-

वर्ष 2009-10 में 24.06 प्रतिशत कार्यरत लेखा परीक्षा कर्मियों से सम्परीक्षाधीन 10130 लेखाओं में से 2209 चालू व 1899 अवशेष वर्षो सहित कुल 4108 लेखों की सम्परीक्षा पूर्ण करायी गयी। सभी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों, जिला सहकारी दुग्ध संघो की लेखा परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा राज्य सरकार के अधीन कतिपय विभागों द्वारा मार्च के अन्तिम सप्ताह में कोषागार से आहरित धनराशियों के उपभोग से सम्बन्धित धनराशियों की जांच हेतु विशेष लेखा परीक्षा की गई।

10.1-1- सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें:-

(क) सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में सम्परीक्षित लेखाओं में उदघाटित गम्भीर अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू० 202.49 लाख की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका संस्थावार/शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्रमांक	शीर्षक	धनराशि
1-	व्यपहरण	26.05
2-	अनियमित/अधिक भुगतान	21.00
3-	आर्थिक क्षति	1.76
4-	दुरूपयोग/दुर्विनियोग	90.47
5-	विविध अनियमितताये	63.12
	योग	202.40

10.1-2- विशेष सम्परीक्षा प्रतिवेदन:-

लेखा परीक्षित संस्थाओं में गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति/गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन नियमावली के नियम 233 के अनुसार निर्गत किये जाते है।

10.2-1- सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :-

वर्ष 2009-10 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी:-

वर्ष 2009 को प्रारम्भिक अवशेष रूपया		5994035.00
वर्ष में अवधारित शुल्क धनराशि रूपया	(+)	5665942.00
योग रू० -		**11659977.00**
वर्ष दौरान राजकीय कोष में जमा धनराशि रू0 -	(-)	4953301.00
31 मार्च, 2010 को बकाया रू० -		**6706676.00**

10.2-2- वर्ष 2009-10 में कुल लेखा परीक्षा शुल्क धनराशि रु०-116.60 लाख में से दिनांक 31 मार्च, 2010 तक कुल रू०-49.53 लाख सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं द्वारा राजकीय कोषागार में जमा करायी गयी है।

11- निष्कर्ष:-

वर्ष 2009-10 में 2736 सहकारी संस्थाओं एवं 7394 पंचायतराज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की जानी थी। सहवर्ग की कमी के कारण बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट व आयकर की धारा 44 ए०बी० में आने वाली संस्थाओं को वरीयता देते हुए 1128 सहकारिता एवं 1081 पंचायतों की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं की सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10 (1) में वर्णित रुपये 202.40 लाख की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयीं जिनमें व्यपहरण दुर्निवियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति आदि के प्रकरण समाविष्ट है।

(जी0के0 पन्त)
निदेशक

कार्यकारी खण्ड

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वित्तीय वर्ष 2009-10)

वर्ष 2009-10 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे है।

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(आँकड़े लाखों में)

क्र०सं०	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि
1-	जिला सहकारी बैंक लि०	114.27
2-	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/समितियां	34.97
3-	विशिष्ट समितियाँ/सहकारी गन्ना समितियाँ	12.40
4-	जिला सहकारी संघ/भेषज संघ एवं केन्दीय उपभोक्ता भण्डार	17.16
5-	किसान सेवा/दीर्घा०/साधन समितियाँ	4.60
6-	ग्राम पंचायत	19.00
	योग	202.40

विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ड" में दिया गया है।

::वर्ष 2009-10 में सम्पन्न विशेष सम्पीक्षाऐं::

पिथौरागढ़, जिला सहकारी बैंक, लि0 पिथौरागढ़

(वर्ष 2007-08)

दुरूपयोग:-

1- निबंधक की स्वीकृति एवं विधिवत निविदा प्राप्त किये बगैर रू0 84397.50 के अल्ट्रावाइलेट लैम्प क्रय किये गये।

2- अधिकार क्षेत्र से बाहर रू0 115082.00 रिवाल्विंग चेयर क्रय की गयी जिनमें ट्रेडमार्क अंकित नहीं है। इस प्रकार बैंक धन का दुरूपयोग किया गया।

3- क्रय नियमों के विपरीत बिना निविदा आमंत्रित किये करेन्सी काउंटिग मशीन रू0 255000.00 क्रय कर बैंक धन का दुरूपयोग किया गया।

4- निबन्धक परिपत्र सं0-सी-182 दिनांक 25.07.98 के निर्देशों के विपरीत क्रय कमेटी से स्वीकृत प्राप्त किये बगैर आवश्यकता से अधिक स्टेशनरी रू0 338015.00 क्रय कर धन का दुरूपयोग किया गया।

5- निबन्धक परिपत्र सं0-सी0-50 दिनांक 29.08.86 के मापदण्डों के विपरीत कर्मचारियों /अधिकारियों एवं दैनिक मजदूरों को एक्सग्रेसिया रू0 447560.00 का अधिक भुगतान कर बैंक धन का दुरूपयोग किया गया।

6- शासनादेश सं0-679 दिनांक 04.09.06 के निर्देशों के विपरीत कर्मचारियों / अधिकारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति रू0 328057.75 का अधिक भुगतान कर बैंक धन का दुरूपयोग किया गया।

7- उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम 208 एवं 209 के विपरीत संचालकों को हवाई जहाज यात्रा का रू0 34861.00 भुगतान कर बैंक धन का दुरूपयोग किया गया।

8- वीरचन्द्र सिंह गढवाली योजना अर्न्तगत अनियमित ऋण वितरण करने के फलस्वरूप धनराशि रू0 58.31 लाख दिनांक 31.03.09 को एन0पी0ए0 हो गयी।

विविध अनियमितता:-

1- बैंक की विनियोजित अंश पूंजी में निबन्धक निर्देशों के अधीन लाभांश रू0 509000.00 का भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है जो गंभीर अनियमियतता है।

2- उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 देहरादून द्वारा जमा धनराशि का त्रुटिपूर्ण लेखांकन के फलस्वरूप रू0 25204.39 की बैंक को क्षति पहुंचायी गयी।

3- बकाया वसूली हेतु प्रयुक्त वाहन पर हुये डीजल व्यय रू0 7061.00 का मुख्यालय की स्वीकृति के बगैर भुगतान किया गया।

टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैक लि0 नई टिहरी

(वर्ष 2007-08)

अधिक/अनियमित भुगतान

1- संचालक मण्डल की बैठक बैंक मुख्यालय से बाहर किये जाने पर रू0 11195.00 का अनियमित व्यय किया गया है।

2- बैंक शाखा घनसाली द्वारा अनाधिकृत संस्था को कोयला खरीद वावत अनियमित भुगतान दर्शाकर बैंक धन का रू0 20009.00 दुरूपयोग किया गया है।

3- बैंक शाखा बादशाही थौल के शा0पव0 ने बिना कोटेशन तकनीकि परामर्श व बैंक स्वीकृति के अभाव में मैंनेजर केविन के निर्माण पर रू0-51580.00 अनियमित व्यय किया गया है।

4- बैंक शाखा चम्बा के लिपिक/सहयोगी द्वारा पूर्ववर्ती वर्षो में पार्टी के खाते में केडिट कर अधिविकर्ष किया जाना रू0-27000.00 अनियमित रहा जो वसूली के अभाव में आतिथि तक लम्बित है।

5- शाखा चमियाला में तैनात सहा0 कैशियर की स्वीकृत कैश क्रेडिट लिमिट से अधिक ऋण कर्मचारी को अनियमित भुगतान कर बैंक धन का रू0-224885.00 दुरूपयोग किया गया है।

आर्थिक क्षतिः-

1- बैंक शाखा बादशाही थौल के छ बचत खातों पर सरकारी चैक कलैक्शन की राशि जमा कर बैंक कमीशन, सेवा शुल्क व डाक व्यय न प्राप्त कर बैंक को रू0-6834.00 की क्षति पहुंचायी गयी है।

2- कृषि विश्वविद्यालय परिसर रानी चौरी में बैंकशाखा को आवंटित 3 क्वार्टर का किराया वहां तैनात कर्मचारियों से वसूल न कर वर्ष 07-08 में बैंक द्वारा जमा कर धनराशि रू0-37062.00 की क्षति पहुंचायी गयी है।

गम्भीर अनियमितताः-

1- बैंक शाखा बादशाही थौल के शाखा प्रबन्धक द्वारा अपनी पत्नी व पुत्री के व्यक्तिगत खाते पर रू0-30.55 लाख ओवर ड्राफ्ट ऋण का भुगतान कर अनियमित रूप से पद का दुरूपयोग कर गम्भीर अनियमितता की गयी है साथ ही उक्त ऋण पर रू0-17989.00 का कम ब्याज लगाकर बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है।

टिहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 नई टिहरी (2006-07)

अधिक/अनियमित भुगतान

1- दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्म0 को सहकारी आवास आवंटित होने पर भी मकान किराये भत्ते रू0-370790.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

2- सहा0 लेखाकार व वाहन चालक को अग्रिम रू0-152672.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

3- धनराशि रू0-500.00 का डाक टिकट कार्या0सहा0 निदेशक दुग्ध नई टिहरी को बिना प्रमाण के उपलब्ध कराया जाना अनियमित रहा।

4- ट्रांसपोटर को भाड़े का अनुमन्य दर से अधिक, रू0-429.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

अपहरण:-

1- आडिटर्स के रहने व खाने का अपुष्ट व्यय दर्शित कर रू0-13572.00 अपहरण किया गया है।

2- आडिट टीम हेतु स्टेशनरी व्यय दर्शित कर रू0-2390.00 अपहरण किया गया है।

आर्थिक क्षति:-

1- टी0डी0एस0 की विवरणियां इन्टरनैट से प्रेषित करने तथा टैक्स आडिट के प्रपत्रों को तैयार करने हेतु अस्पष्ट /प्रमाण रहित व्यय रू0-4068.00 का भुगतान किया गया।

2- अपेक्षित सूचनाओं को हस्तगत न कराये जाने के कारण सी0डी0 कम्प्यूटर व्यय रू0-1080.00 अपुष्ट व प्रमाण रहित दर्शित है।

3- ट्रांसपोर्ट फर्म को ढुलान व्यय का अनुबन्ध के विपरीत रू0-2220.00 से अधिक भुगतान किया गया।

4- दुग्ध बिल की राशि विक्रेता के खाते में रू0-20000.00 कम डेविट कर दायित्व को प्रभावित किया गया है।

5- ट्रांसपोटर के व्यक्तिगत खाते में भाड़े की राशि का चैक कम डेविट कर संघ को रू0-73800.00 की हानि पहुंचायी गयी है।

6- दूध व दुग्ध पदार्थ की विक्री को सहा0 लेखाकार के खाते में कम डेविट कर रू0-3000.00 की हानि पहुंचायी गयी है।

7- सहा0 लेखाकार द्वारा स्वयं अपने वेतन खाते में माह 4/06 का वेतन अधिक क्रेडिट कर संघ को रू0-2000.00 की हानि पहुंचायी गयी है।

8- वर्ष-06-07 का गोदाम किराया भवन स्वामी को अनुमन्य दरों से अधिक भुगतान कर संघ को रू0-8000.00 की हानि पहुंचायी गयी है।

नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 लालकुँआ, नैनीताल

(वर्ष 2007-08)

अपहरण:-

1- पशु आहार एवं घी हेतु रू0 3.36 लाख का स्टाक दर्ज नहीं किया गया

2- कर्मचारी को एल0टी0सी0 देयक हेतु रू0-0.05 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

3- कर्मचारी को एल0टी0सी0 देयक हेतु रू0-0.05 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

4- विक्री से अधिक दही कप रू0-2.40 लाख का स्टाक से खारिज किया।

5- बिक्री से अधिक दही कप रू0-0.02 लाख का स्टाक से खारिज किया।

दुर्विनियोग:-

1- निगलाट-भवाली में आवंटित अनुदान राशि से निर्धारित उददेश्य से भिन्न कार्य में रू0-4.94 लाख से सुरक्षा दीवार बनवाई गई।

2- एयरमार्क राशि के विरूद्ध बिना अनुमति के ऋण लिया जिस पर रू0-4.19 लाख का ब्याज अदा किया गया।

गम्भीर अनियमितता:-

यू0सी0डी0एफ0 को रायल्टी व कमीशन की देनदारी न दर्शाकर रू0-10.87 लाख से लाभ-हानि प्रभावित किया गया।

अल्मोड़ा दुग्ध सं0 संघ लि0

(वर्ष 2006-07)

अपहरण

1- दिनांक 31-03-07 को सन्तुलन पत्र पर चैक कटर व्यवसायिक स्कंध हेतु रू0 1742.19 ह्रास तथा रू0-9872.42 अवशेष दर्शित किया गया। जबकि स्टॉक पंजिका एवं सत्यापन सूची अनुसार स्टॉक शून्य था।इस प्रकार रू0-11614.61 का स्टॉक अपहरण किया गया।

2- क्रय पिपेट को स्टाक पंजी में दर्ज न कर रू0 951.00 का अपहरण किया गया।

अनियमितता:-

1- चौखुटिया-दूनागिरी मार्ग पर ढुलान की प्रमाणिक दर रू0-6.00 प्रति किमी में अपलेखन कर रू0-6.50 किया गया। जिससे रू0-14451.50 का अनियमित भुगतान किया गया।

2- ताड़ीखेत-हरड़ा मार्ग पर दूध ढूलान का रू0-8.00 प्रति किमी न्यूनतम दर पर स्वीकृत न करके रू0-8.70 प्रति किमी स्वीकृत किया गया। जिससे रू0-37822.42 का अनियमित भुगतान किया गया।

3- मैं0 मैन पावर सिक्योरिटी ऐजेन्सी को श्रमिकों की मजदूरी व अन्य भुगतानों पर स्वीकृत कमीशन से रू0-41322.00 का अधिक भुगतान किया गया।

4- बगवान से बिल्लेख ताड़ीखेत मार्ग पर 80 किमी के स्थान पर 84 किमी प्रतिदिन से दर मु0-9.20 प्रति किमी से रू0-13174.40 का अधिक भुगतान किया गया।

5- संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को संघ आदेशों के विपरीत रू0-72986.05 का स्था0या0भत्ता का अनियमित भुगतान किया गया।

6- पशुआहार की बिक्री मूल्य पर रू0-43760.00 का गलत अनुदान देकर एवं उसका समायोजन पशुपोषण सम्बर्धन राजकीय अनुदान से करके अनुदान का दुरूपयोग किया गया।

7- कोट्यूणा से भगौती दुग्ध ढुलान मार्ग का 83 किमी के स्थान पर 87 किमी0 दि0-01-08-2006 से 31-03-2007 तक दर मु0-6.50 से रू0-6292.00 का अधिक भुगतान किया गया।

8- अनुबन्ध के अनुसार दुग्ध वितरण के मूल्य पर काटे गये कमीशन का पुन: रू0 1745.42 का अनियमित भुगतान किया गया।

9- ट्रांसपोर्टर को रू0-20.90 का अधिक भुगतान किया गया।

10- अग्रिम रूप से भुगतान राशि रू0-9150.00 की वसूली नहीं की गयी।

11 ट्रांसपोर्टर को रू0-1640.00 का अधिक भुगतान किया गया।

इकबालपुर सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 रूड़की

(वर्ष 2004-05 से 2006-07)

अपहरण:-

1- तत्कालीन लेखाकार द्वारा समिति धन अपने व्यक्तिगत खाते में स्थानान्तरित कर रू0-20000.00 का व्यपहरण किया गया।

2- आई0ओ0बी0 शाखा रेलवे रोड़ के बचत खातों से व्यक्तिगत खातों में धन स्थानान्तरित कर रू0-890983.00 का अपहरण किया गया।

3- जिला सहकारी बैंक शाखा गणेशपुर से जमा राशि रू0-329013.00 को तत्कालीन लेखाकार द्वारा अपने व्यक्तिगत खाते में स्थानान्तरित कर अपहरण किया गया।

जिला केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार उत्तरकाशी

(2003-04 से 2005-06)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- आपूर्तिकर्ता (सप्लायर्स) खातों में जमा शेष न होने पर रू0-142811.00 का अनियमित भुगतान कर नाम शेष किया गया है।

2- कस्टमर खातों में विभिन्न विभागों को गतवर्ष एवं लेखा परीक्षा वर्ष में स्टॉक की आपूर्ति कर कुल रू0-844312.00 नाम शेष किया गया है जिसकी अध्यावधि तक कोई वसूली नहीं हुयी है।

3- मै0 संयोग एसोसिएट, अजबपुर खुर्द, देहरादून को नकद/चैक द्वारा रू0-142438.00 का अनियमित रूप से अग्रिम भुगतान किया गया है।

4- मै0 संयोग एसोसिएट, देहरादून को पुराने बिलों का भुगतान रू0-20440.00 किया गया है किन्तु बिलों की पुष्टि नहीं होती है।

5- सचिव को अनियमित एवं नियम विरूद्ध टैक्सी भाड़ा का भुगतान रू0-7000.00 किया गया है।

6- प्रशासक श्री फतेह सिंह एवं श्री शिवराम बिसारिया, ए0डी0सी0ओ0 को अनियमित टैक्सी भाड़ा का भुगतान रू0-2200.00 किया गया है।

7- श्री फतेह सिंह, प्रशासक को अनियमित अग्रिम यात्रा भत्ता का भुगतान रू0-1000.00 किया गया है।

विविध अनियमितता:-

1- भण्डार की चिन्यालीसौड़ शाखा में विक्रेता द्वारा अपंजीकृत संस्था /फर्म से मिट्टी तेल क्रय किया गया, इस प्रकर रू0-76002.00 की अनियमित क्रय के कारण राजस्व हानि हुई है।

2- मै0बी0एस0 कखवाड़ी, सप्लालर, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी के कम्प्यूटर प्रिन्टेड बिल्टियों से ट्रक भाड़ा का अधिक अनियमित भुगतान रू0-29531.00 किया गया है।

3- ओ0बी0एस0 बचत खाता सं0-950 में जमा राशि को अन्तर रू0-74761.00 से सन्तुलन पत्र में अधिक दर्शाया अधिक दर्शाया गया है।

4- टाईम डिपोजिट के फारफिट होने पर भी सन्तुलन पत्र में उक्त टी0डी0आर0 की धनराशि रू0 36212.00 बैंक जमा शेष दर्शायी गयी है।

5- सन्तुलन पत्र में बैंक बचत व चालू खाता में जमा शेष रू0-144710.00 से अधिक दर्शित किया गया है।

6- भण्डार की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय होने पर भी डायरी एवं कलैण्ड़र्स पर किया गया व्यय रू0-73195.00 संस्था के धन का दुरूपयोग है।

7- जिला पूर्ति अधिकारी से राशन का फर्जी पावना दर्शाकर रू0-31592.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

8- जनरेटर क्रय हेतु अध्यक्ष /प्रशासक की स्वीकृति बिना अनियमित अग्रिम भुगतान रू0-56360.00 किया गया।

9- एडवोकेट को अग्रिम भुगतान रू0-2000.00 का समायोजन नहीं किया गया।

जिला भेषज सहकारी विकास संघ लि0 चमोली

(वर्ष 2001-02 से 2007-08)

अपहरण:-

1- संघ द्वारा भेषज क्रय हेतु भुगतान रू0-3000.00 की पुष्टि में स्टॉक क्रय एवं बिक्री सम्बन्धी प्रमाणक नहीं रहे।

2- संघ द्वारा कोयला क्रय रू0-10600.00 की पुष्टि में विभागीय स्वीकृति एवं स्टाक पंजिका तथा उपयोग की स्थिति उपलब्ध नहीं रही है।

दुरूपयोग:-

1- चार्टड एकाउन्टेन्ट से बिना विभागीय एवं शासकीय स्वीकृति के लेखा परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी रू0-16200.00 का भुगतान धन का दुरूपयोग रहा है

गम्भीर अनियमितता:-

1- विक्रय मूल्य राशि पर कम कमीशन आंकलित कर संघ को रू0-2024.00 की हानि पहुँचाई गयी।

डोभाल गॉव दी0बहु0सा0सह0समिति लि0 उत्तरकाशी

(वर्ष 2007-08)

व्यपहरण:-

1- सदस्यों से वसूल राशि कैश बुक में जमा न कर रू0-3739.00 का अपहरण किया गया।

2- खाद्यान बिक्री राशि कैश बुक में कम जमा कर रू0-6011.00 का अपहरण किया गया।

3- गल्ला बोरी बिक्री राशि कैश बुक में जमा न कर रू0-2400.00 का अपहरण किया गया।

दुरूपयोग:-

1- बाल पोषाहार खाद्यान का अनियमित भाड़ा भुगतान कर समिति धन रू0-2022.00 का दुरूपयोग किया।

विविध अनियमितता:-

1- समिति अभिलेखों में सचिव द्वारा काटपीट व अपलेखन कर रू0-51428.00 सदस्यों की ऋण राहत सूची में सम्मलित किया गया।

साधन सहकारी समिति लि0 बैजरो पौड़ी गढ़वाल

(वर्ष 2004-05 से 2007-08)

अपहरण:-

1- तत्कालीन सचिव द्वारा रू0-181800.81 से कम रोकड़ शेष सत्यापित करवाकर व अपने नाम दीगरपावना में दर्शित कर रू0-181800.81 का अपहरण किया गया।

2- सचिव द्वारा सदस्य खाते में दर्शित रू0-6800.00 वसूली धनराशि में से कोष वही में रू0-5600.00 की ही वसूली दर्शित कर रू0-1200.00 का अपहरण किया गया।

साधन सहकारी समिति लि0 अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग

(वर्ष 2007-08)

अपहरण:-

1- विक्रेता द्वारा खाद्यान्न विक्री रू0-8056.24 से कम जमा कर धनराशि का अपहरण किया गया।

2- विक्रेता द्वारा उर्वरक विक्री की धनराशि रू0-5807.00 कोषवही में जमा दर्ज न कर धनराशि का अपहरण किया गया।

बानना साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल

(वर्ष 2007-08)

अपहरण:-

1- विक्री रजिस्टर तथा कैश बुक विक्री दर्ज किये बिना ही स्टॉक रजिस्टर से यूरिया की मात्रा को खारिज कर रू0-18840.30 का अपहरण किया गया।

गम्भीर अनियमितता:-

1- तत्कालीन सचिव द्वारा यात्रा भत्ता देयक हेतु रू0-1100.00 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान प्राप्त किया गया।

साधन सहकारी समिति लि0 देवाल चमोली

(वर्ष 2004-05 से 2007-08)

अपहरण:-

1- वसूली कैश बुक में अंकित न कर रू0-3120.00 का अपहरण किया गया।

2- मिनी बैंक कैश बुक आय पक्ष योग अंतर से रोकड़ शेष कम दर्शित कर रू0-300.00 का अपहरण किया गया।

3- रोकड़ सत्यापन कम दर्शित कर रू0-50.00 का अपहरण किया गया।

4- सदस्य वसूली कैश बुक न दर्शित कर रू0-100.00 का अपहरण किया गया।

5- मिनी बैंक कैश बुक में दर्शित भुगतान की पुष्टि खातों से न होने के कारण रू0-35795.00 का अपहरण किया गया।

6- मिनी बैंक कैश बुक में बिना प्रमाणक धनराशि रू0-75050.00 का भुगतान दर्शित कर अपहरण किया गया।

7- मिनी बैंक कैश बुक योग त्रुटिपूर्ण करते हुए रोकड़ शेष रू0-520.00 से कम दर्शित कर अपहरण किया गया।

8- मिनी बैंक में जमा पर्चियों द्वारा खातों में जमा धनराशि को कैश बुक में अंकित न कर रू0-8710.00 का अपहरण किया गया।

9- दिनांक 31-03-2007 को रोकड़ शेष रू0-180.00 से कम दर्शित कर धन का अपहरण किया गया।

10- खाते में जमा राशि को कैश बुक में कोषांकित न कर रू0-2890.00 का अपहरण किया गया।

11- कैश बुक योग अंतर से रोकड़ शेष कम दर्शित कर रू0-1398.00 का अपहरण किया गया।

12- बिना बिड्राल/खातें में प्रविष्टि के कैश बुक भुगतान दर्शित कर रू0-12500.00 का अपहरण किया गया।

13- मिनी बैंक खातों में जमा धनराशि को कोषांकित न कर रू0-1314.00 का अपहरण किया गया।

14- मिनी बैंक में जमा पर्ची द्वारा जमा धनराशि से रू0-450.00 की कैशबुक में कम प्रविष्टि कर धन का अपहरण किया गया।

15- आहरण पत्र से दर्शित धनराशि से रू0-146.00 से अधिक कैश बुक में खारिज कर धनराशि का अपहरण किया गया।

16- रू0-92.15 से अधिक उर्वरक स्टॉक खारिज कर धन का अपहरण किया गया।

17- तत्कालीन सचिव द्वारा दिनांक-22-09-07 को बिना प्रमाणक के कैशबुक में रू0-946.00 के व्यय दर्शित कर तथा रू0-40.00 से रोकड़ शेष कम चार्ज में देकर कुल रू0-986.00 का अपहरण किया गया।

18- महिला समूह शेरादेवसारी से दिनांक 09-11-05 नकद वसूल रू0-400.00 की कैश बुक लेखा न कर धन का अपहरण किया गया।

19- तत्कालीन सचिव द्वारा बिना प्रमाणक रू0-3000.00 कैश बुक में खारिज कर धन का अपहरण किया गया।

गम्भीर अनियमितता:-

1- सावधी खाते में अनियमित रू0 से रू0-981.00 से अधिक भुगतान किया गया।

2- विभागीय निर्देशों के विपरीत सदस्य हिस्सा धन रू0-1680.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

3- सदस्य ऋण खातों से अमानत / सदस्य हिस्सा धन रू0-28830.00 का विभागीय निर्देशों के विरूद्ध अनियमित भुगतान किया गया।

ग्राम पंचायत कोटी विकास खण्ड खिर्सू जनपद पौड़ी गढ़वाल (वर्ष 2002-03 से 2007-08)

अपहरण:-

1- पंचायतकर रू0-260.00 कोषांकित न कर एवं रोकड़ शेष रू0-80.00 से कम दर्शित कर रू0-340.00 का अपहरण किया गया।

2- मस्टररोल का योग बढ़ाकर रू0-1533.00 का अपहरण किया गया।

3- एक ही कार्य याजना में 2-2 बार कार्य दर्शाकर रू0-20018.00 का अपहरण किया गया।

4- मस्टररोल पर दर्शित भुगतान राशि रू0-1392.00 की प्राप्ति सम्बन्धित श्रमिकों से नहीं कराकर धन का अपहरण किया गया है।

5- माह जून 2006 के मस्टररोलों में श्रमिकों को विभिन्न कार्यों का 2-2 बार कुल रू0-62510.00 का भुगतान कैशबुक से घटाकर धन का अपहरण किया गया है।

दुरूपयोग:-

1- गोसाला निर्माण में एम0बी0 अनुसार रेत क्रय पर रू0-3606.00 का अधिक भुगतान दर्शाकर धन का दुरूपयोग किया गया है।

अनियमित/अधिक भुगतान:-

1- सी0सी0 कार्य निर्माण पर बिना रेत खरीद के निर्माण दर्शाकर संदिग्ध एवं अनियमित भुगतान रू0-25026.00 किया गया।

ग्राम पंचायत कठूड विकास खण्ड खिर्सू जनपद पौड़ी गढ़वाल:-

(वर्ष 2002-03 से 2007-08)

अपहरण:-

1- विभिन्न तिथियों में रोकड़ शेष कम दर्शाकर रू0-24065.00 का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत श्रीकोट (खण्डाह) विकास खण्ड खिर्सू जनपद पौड़ी गढ़वाल:-

(वर्ष 2002-03 से 2007-08)

अपहरण:-

1- छात्रवृत्ति की धनराशि बिना भुगतान दर्शायें एवं बैंक से आहरित धनराशि कैश बुक में कोषांकित न कर रू0-18300.00 का अपहरण किया गया।

2- दिसम्बर-2003 के मस्टररोल का योग बढ़ाकर रू0-1856.00 का अपहरण किया गया।

3- मस्टररोल (प्रमाणक संख्या 32/ दिनांक 22-03-08) का योग बढाकर रू0-1460.00 का अपहरण किया गया।

4- प्रमाणक सं0-2/7-8-04 से एक ही कार्य का दोबार भुगतान दर्शाकर 16762.00 का अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- श्रमिकों को एक ही अवधि में दो कार्यों का भुगतान दर्शाकर रू0-2847.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

2- बिना प्रमाणक के रू0-14107.00 का अनियमित भुगतान किया गया एवं कार्य की पुष्टि भी नहीं करायी गयी।

ग्राम पंचायत पोखरी (नान्दलस्यू) विकास खण्ड खिर्सू जनपद पौड़ी गढ़वाल:-

(वर्ष 2002-03 से 2007-08)

अपहरण:-

1- रशीद संख्या 28 दिनांक 20-03-05 से प्राप्त राशि रू0-160.00 कैश बुक में कोषांकित न कर एवं दिनांक 31-03-08 को रोकड़ शेष रू0-543.00 से कम दर्ज करने से कुल रू0-703.00 का अपहरण किया गया।

2- डिग्गी निर्माण के मस्टररोल का योग रू0-200.00 से अधिक दर्शाकर अपहरण किया गया।

3- व्यय प्रमाणक संख्या-10 दिनांक 31-03-08 हेतु मस्टररोल, रू0-19728.00 के भुगतान की पुष्टि में उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण भुगतान अपुष्ट रहा है।

4- वर्ष 2005-06 हेतु क्रम संख्या 13 से 17 तक के व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहने से कुल दर्शित व्यय रू0-3700.00 अपुष्ट रहा है।

ग्राम पंचायत-कांडा विकास खण्ड रिखणीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल:-

(वर्ष 2002-03 से 2007-08)

अपहरण:-

1- दिनांक 17-02-2004 को श्रमिक खाद्यान्न का मूल्य रू0-7250.00 कोष वही में नकद भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत-कर्तिया विकास खण्ड रिखणीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल:-

(वर्ष 2002-03 से 2007-08)

अपहरण:-

1- दिनांक 16-07-2004 को छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त अनुदान राशि रू0-4200.00 को कोष वही के व्यय पक्ष में बैंक जमा दर्शित कर तथा आय पक्ष में प्राप्ति लेखा न करते हुये रू0-4200.00 से रोकड़ शेष कम दर्शित करते हुये धनराशि का अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत- सिगुंणी विकास खण्ड नौगांव जनपद उत्तरकाशी:-
(वर्ष 2006-07 से 2007-08)

अपहरण:-

1- बैंक खाते से आहरित राशि को कोषवही में कोषांकित न कर रू0-50000.00 का अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- स्वीकृत दर (स्टीमेट अनुसार) से अधिक दर पर पाईप क्रय कर रू0-39000.00 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया।

ग्राम पंचायत- बिगंसी विकास खण्ड नौगांव जनपद उत्तरकाशी:-
(वर्ष 2007-08)

दुर्विनियोग/दुरूपयोग:-

1- आहरण प्रस्ताव एवं पंचायत की स्वीकृति के बिना रू0-44995.00 आहरण कर राशि का दुरूपयोग किया गया।

2- बिना बिल एवं स्वीकृति के मनमाने ढंग से चौखट एवं पल्लों का रू0-8500.00 भुगतान किया गया।

ग्राम पंचायत-बखरेटी विकास खण्ड नौगांव जनपद उत्तरकाशी:-
(वर्ष 2006-07 से 2007-08)

अपहरण:-

1- कोष वही में फर्जी बिल का भुगतान दर्शाकर रू0-5055.00 का अपहरण किया गया।

2- बिना प्रमाणकों के कोषवही में रू0-50502.00 का भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया।

दुरूपयोग/दुर्विनियोग :-

1- खाद्यान्न स्टॉक पंजिका एवं कूपन के बिना विभिन्न योजनाओं में रू0-41006.00 राशन का मनमाने ढंग से वितरण दर्शाकर खाद्यान्न की क्षति पहुँचायी गयी।

ग्राम पंचायत-उपराड़ी विकास खण्ड नौगांव जनपद उत्तरकाशी:-

(वर्ष 2007-08)

दुरूपयोग/दुर्विनियोग:-

1- आहरण प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत की स्वीकृति के बिना विभिन्न योजनाओं में कुल रू0-317117.00 का भुगतान मनमाने ढंग से दर्शाकर राशि का दुरूपयोग किया गया।

2- बिना योजना प्रस्तावित किये एवं ग्राम पंचायत की स्वीकृति बिना अश्व मार्ग (चक गांव से स्यूली तक) का भुगतान रू0-26499.00 किया गया।

3- पंचायत भवन उपराड़ी में बिजली फिटिंग पर भुगतान रू0-19242.00 बिना इस्टीमेट एवं स्वीकृति के किया गया।

ग्राम पंचायत-मूगंरा विकास खण्ड नौगांव जनपद उत्तरकाशी:-

(वर्ष 2007-08)

दुरूपयोग/दुर्विनियोग:-

1- पंचायत भवन हेतु बिना बिल एवं भुगतान की स्वीकृति के रू0-12400.00 का मनमाने ढंग से भुगतान कर धनराशि का दुरूपयोग किया गया।

ग्राम पंचायत-खाबलीसेरा विकास खण्ड पुरोला जनपद उत्तरकाशी:-

(वर्ष 2006-07 से 2007-08)

अपहरण:-

1- पंचायत भवन पर बिल कोटेशन पर भुगतान किया गया एवं एम0बी0 के अनुसार रू0-10040.00 से अधिक भुगतान किया गया।

गम्भीर अनियमितता:-

1- पंचायत भवन पर एम0बी0 से अधिक रू0-8400.00 का भुगतान किया गया है।

2- जल उपभोक्ता समूह को बिना किसी प्रमाणक के रू0-724598.00 का भुगतान किया गया।

3- कार्यस्थल के नाम बिना पी0सी0सी0 खडिंजा निर्माण पर कुल रू0-29900.00 का कार्य किया गया।

4- नियमों के विरूद्ध अनुदान राशि से रू0-10652.00 का फर्नीचर क्रय कर अनियमितता की गयी।

ग्राम पंचायत-जखोल विकास खण्ड मोरी जनपद उत्तरकाशी:-
(वर्ष 2006-07 से 2007-08)

अपहरण:-

1- छात्रवृत्ति के प्राप्ति बिना ही रू0-18900.00 का भुगतान किया गया।

दुरूपयोग/दुर्विनियोग:-

1- एकल पेयजल योजना में एम0बी0 से अधिक की सामग्री रू0-55542.00 क्रय की गयी।

2- बिना किसी प्रमाणक के सिंचाई गूल के नाम से रू0-10500.00 का भुगतान किया गया।

ग्राम पंचायत-ढाटमीर विकास खण्ड मोरी जनपद उत्तरकाशी:-
(वर्ष 2006-07 से 2007-08)

अपहरण:-

1- बिना प्रमाणक एवं प्राप्ति के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण रू0-27050.00 दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया।

दुरूपयोग/दुर्विनियोग:-

1- योजना का स्थलीय नाम के बिना निर्माण कार्य दर्शाकर रू0-45025.00 का दुरूपयोग किया गया।

ग्राम पंचायत-हल्टाड़ी विकास खण्ड मोरी जनपद उत्तरकाशी:-
(वर्ष 2006-07 से 2007-08)

दुरूपयोग/दुर्विनियोग:-

1- पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु कार्य आदेश व अनुदान राशि प्राप्त किये बिना ही राज्य वित्त से रू0-29930.00 के मस्टररोल का भुगतान कर ग्राम पंचायत धन का दुरूपयोग किया गया।

ग्राम पंचायत-खन्यांसड़ी विकास खण्ड मोरी जनपद उत्तरकाशी:-

(वर्ष 2006-07 से 2007-08)

दुरूपयोग/दुर्विनियोग:-

1- पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु कार्य आदेश व अनुदान राशि प्राप्त किये बिना ही सीमेन्ट क्रय दर्शाकर रू0-40700.00 का दुरूपयोग किया गया।

ग्राम पंचायत-गंगाड विकास खण्ड मोरी जनपद उत्तरकाशी:-

(वर्ष 2006-07 से 2007-08)

अपहरण:-

1- छात्रवृत्ति वितरण रू014180.00 की पुष्टि में कोई प्रमाणक उपलब्ध न था।

दुरूपयोग/दुर्विनियोग:-

1- योजना के स्थलीय नाम बिना ही रू0-27000.00 का निर्माण कार्य कराया गया।

ग्राम पंचायत-सुपऊ विकास खण्ड कालसी जनपद देहरादून:-

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

गम्भीर अनियमितता:-

1- दिनांक 08-05-06 को छात्रवृत्ति रू0-4000.00 की वापसी जि0स0क0 अधिकारी देहरादून को दर्शित की गयी जिसकी पुष्टि में प्रमाणक उपलब्ध न था।

परिशिष्ट 'क'

(भाग-(1)-(आख्या प्रस्तर 3,1 में सन्दर्भित)

क्र0 सं0	संस्था की श्रेणी	संस्थाओं की संख्या
1	उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी नैनीताल	01
2	उत्तरांचल कोआपरेटिव फैडरेशन लि0 प्रेमनगर, देहरादून	01
3	उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0	01
4	जिला सहकारी बैंक लि0	10
5	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0	08
6	जिला सहकारी विकास संघ लि0	10
7	जिला भेषज विकास संघ लि0	12
8	थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0	06
9	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	31
10	सहकारी विकास/ब्लाक संघ लि0	21
11	सहकारी बीज/पूर्ति भण्डार	10
12	किसान सेवा/लैम्पस/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	753
13	कृषि सहकारी समितियां	04
14	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	36
15	श्रम सविंदा/वेतन भोगी/विशिष्ट सहकारी समितियां	337
16	जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0	12
17	सहकारी दुग्ध समितियां	1238
18	सहकारी चीनी मिले	04
19	सहकारी गन्ना समितियां	13
20	सहकारी आवास संघ/समितियां	60
21	बुनकर/खादी/रेशम/उघोग सहकारी समितियां	162
22	सहकारी मत्स्य समितियां	6
23	जिला पंचायतें	13
24	वैयक्तिक लेखा (पी0 एल0 ए0)	21
25	क्षेत्र पंचायत	95
26	पंचायत उघोग	39
27	ग्राम पंचायतें	7226
	योग-	**10130**

परिशिष्ट 'ख'

(आख्या प्रस्तर -3-2- में सन्दर्भित)

सम्परीक्षाधीन संस्थाएं एवं उन पर लागू सम्बन्धित अधिनियमः-

1-जिला सहकारी बैंकः-

(1) बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949
(2) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004
(3) शासन/भारतीय रिजर्व बैंक/नावर्ड/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(4) सम्बन्धित संस्था की सेवा नियमावली
(5) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934
(6) पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972
(7) पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1965
(8) निगोशियेवल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881

2- सहकारी संस्थायेंः-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003/नियमावली 2004
(2) शासन/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली
(4) आयकर अधिनियम 1987/नियमावली
(5) सी0 पी0 एफ0 रूल्स

3- दुग्ध/उद्योग संस्थायेंः-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003/नियमावली 2004
(2) शासन/दुग्ध आयुक्त/उद्योग निदेशक द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली
(4) उ0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य कर अधिनियम
(5) बिक्रीकर अधिनियम 1948/नियमावली
(6) सैन्ट्रल लेवर एक्ट 1970
(7) कारखाना अधिनियम 1948
(8) वर्क्समैन कम्पन्सेशन एक्ट 1923

(9) दि पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1936

4- गन्ना समितियां:-

(1) उ0 प्र0 गन्ना पूर्ति एवं खरीद अधिनियम

(2) शासन/केन कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004

5- मत्स्य समितियां:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004

(2) शासन/निदेशक फिशरीज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

6- पंचायत संस्थायें:-

(1) उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947/नियमावली/उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपारान्तरण आदेश 2005

(2) शासन/निदेशक पंचायती राज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली

(4) उ0 प्र0 भूमि प्रवन्धन समिति नियम संग्रह

वित्तीय नियमावलियां:-

1-	वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पांच व छः	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
2-	बजट मैनूअल	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
3-	समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेश	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
4-	मैनूअल आफ गवर्नमैन्ट आर्डरस	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
5-	उपविधियां/सेवा नियमावलियां	सामान्य रूप में अधिकांश संस्थाओं पर लागू

परिशिष्ट 'ग'

(आख्या प्रस्तर -5-3- में सन्दर्भित)

आडिट 5471/दस-300(8)/74

प्रेषक,

श्री सुदर्शन लाल शाह कुमैया
उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें, 30 प्र0 लखनऊ
वित्त (लेखा परीक्षा अनुभाग)

लखनऊ, दिनांक सितम्बर, 17, 1977

विषय:- **सहकारी समितियों से वसूली किये जाने वाले लेखा परीक्षा शुल्क की दरो का पुनरीक्षण।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अधीन अधिकारी का प्रयोग करके शासनादेश संख्या ए0एस0टी0-1953/दस-3000(8) /53 दिनांक 11 सितम्बर 1969 व उसी क्रम में जारी किये गये शासनादेश सं0 ए0एस0टी0-300/दस-3000(8)/53 दिनांक 16-4-70 का आशिंक संशोधन करते हुए राज्यपाल महोदय, सरकारी समितियों द्वारा देय लेखा परीक्षा शुल्क की निम्नलिखित दरे और सीमायें और निर्धारित करते हैं:-

(1)- शीर्षस्थ समितियां जेसे यू0पी0 सहकारी संघ आदि एवं मिल्क बोर्ड कानपुर, मिल्क यूनियन लखनऊ, चीनी मिल, सूती मिल आदि ऐसी संस्थायें, जिनका वार्षिक व्यवसाय (टर्न ओवर) एक करोड रूपये से अधिक है, लेखा परीक्षा पर हुए कुल व्यय को वहन करेगी।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी इन समितियों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा पार्टी के उपर हुए व्यय को सम्बन्धित समितियों को संसूचित करेंगे।

(2)- प्रदेश की शेष समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क निम्नलिखित दरो से देय होगा:-

क्र0 सं0	सहकारी समितियों की प्रकृति	शुल्क अवधारणा का आधार	दर
क-	ऋण समितियां (रू0 का लेन देन करने वाली)	लेखा परीक्षा वर्ष की 30 जून की कार्यशील पूंजी पर	60 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ख-	उत्पादन संग्रह, क्रय विक्रय एवं उघोग समितियां	लेखा परीक्षित वर्ष के विक्रय पर	30 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ग-	समितियां जिनका प्रभाव उददेश्य परामर्श अथवा सेवा प्रदान करना है	लाभ हानि नक्शे के लाभ पक्ष में दर्शित सकल आय (सकल आय लाभ सहित) पर	सकल आय का 2 प्रतिशत

(3)- विभिन्न प्रकार की समितियों द्वारा देय शुल्क की अधिकतम सीमाओ की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

क्र0 सं0	सहकारी समितियां	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमाओं की गणना प्रक्रिया
1-	जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक		
क	50 लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	10,000-00	
ख	50 लाख रू0 से अधिक एक करोड रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	20,000-00	
ग	एक करोड रू0 से अधिक कार्यशील पूंजी पर	50,000-00	
2-	नगर बैंग/प्राईमरी सहकारी बैंक	10,000-00	प्रत्येक एक लाख की कार्यशली पूंजी के लिए रू0 200-00
3-	प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां एंव प्रस्तर 2(क) में उल्लिखित उन्य ऋण व्यवसाय वाली समितियां:-		
क	एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	500-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर के लिए रू0 500-00
ख	एक लाख रू0 से अधिक दो लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	1,000-00	
ग	दो लाख रू0 से अधिक चार लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	2,000-00	
घ	चार लाख रू0 से अधिक की कार्यशील पूंजी पर	3,000-00	
4-	वेतन भोगी सहकारी समितियां	3,000-00	
5-	जिला सहकारी संघ	10,000-00	प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 1,000-00
6-	सहकारी दुग्ध संघ	5,000-00	
7-	प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार	1,000-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 150-00
8-	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार	2,000-00	
9-	नया बाजार	3,000-00	
10-	उघोग समितियां	2,500-00	प्रत्येक रू0 25,000-00 की बिक्री के लिए रू0 50-00
11-	प्रस्तर दो (ख) में आने वाली अन्य ऐसी समितियां जिन पर शुल्क की सीमा पृथक रूप से नहीं निर्धारित है अथवा जिनमें लेखा परीक्षा पर होने वाले व्यय का प्रावधान नहीं है।	2,000-00	प्रत्येक 5लाख रू0 की बिक्री के लिए 1,000-00 रू0
12-	गन्ना संघ एवं समितियां	20,000-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की

			कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500-00 एक लाख रू0 से कम कार्यशील पूंजी का वह भाग जो एक लाख रू0 अथवा उसके गुणक के अतिरिक्त होगा उस पर लेखा परीक्षा शुल्क सामान्य दर (60 पैसे प्रति 100-00 रू0) से अथवा रू0 500-00 जो भी कम हो लगाया जायेगा।

(2)- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि उ0 प्र0 सहकारी नियमावली 1968 के नियम 220 के अनुसार यह आदेश शासनादेश की तिथि से लागू होंगे।

भवदीय

(सुदर्शन लाल शाह कुमैया)

उप सचिव

आडिट संख्या 5471 (1)/दस-300 (8)/74

परिशिष्ट- 'घ'

(प्रस्तर 7 - 1 में सन्दर्भित)

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लिए स्वीकृत जिला सम्परीक्षा कार्यालयों की सूची-

क्र0 सं0	जिले का नाम जहां जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित है।
1-	उत्तरकाशी
2-	चमोली (गोपेश्वर)
3-	टिहरी (नरेन्द्रनगर)
4-	देहरादून
5-	पौडी गढवाल
6-	हरिद्वार
7-	रूद्रप्रयाग
8-	अल्मोडा
9-	पिथौरागढ
10-	नैनीताल
11-	उधमसिंह नगर (रूद्रपुर)
12-	बागेश्वर
13-	चम्पावत

परिशिष्ट- ''घ-1'' (प्रस्तर 7-1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय:-

1-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी, नैनीताल।	01
2-	उत्तराखण्ड रेशम कोआपरेटित फैडरेशन लि० प्रेमनगर, देहरादून।	01
3-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि० देहरादून।	01
4-	किसा सहकारी चीनी मिल्स लि० बाजपुर, उधमसिंह नगर।	01
5-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० गदरपुर, उधमसिंह नगर।	01
6-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० नादेही, उधमसिंह नगर।	01
7-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सितारंगज उधमसिंह नगर।	01
8-	जिला सहकारी बैंक लि० नैनीताल हल्द्वानी।	01
	योग	**08**

जिला सहकारी बैंक लि0:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ़	2007-08	0	0	0	74.34	5.41	79.75
2	जिला सहकारी बैंक लि0 टिहरी गढवाल	2007-08	0	3.35	0.62	0	30.55	34.52
	योग:-	-	0	3.35	0.62	74.34	35.96	114.27

जिला भेषज सहकारी संघ एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	जिला भेषज सहकारी संघ चमोली	2001-02 से 2007-08	0.14	0	0	0.16	0.02	0.32
2	केन्द्रीय उप0 भण्डार उत्तरकाशी	2003-04 से 2005-06	0	11.60	0	0	5.24	16.84
	योग		0.14	11.60	0	0.16	5.26	17.16

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	डोभाल गांव साधन सहकारी समिति उत्तकाशी	2007-08	0.12	0	0	0.02	0.51	0.65
2	बैजरो साधन सहकारी समिति लि0 पौड़ी गढ़वाल	2004-05 से 2007-08	1.83	0	0	0	0	1.83
3	अगस्त्यमुनि साधन सहकारी समिति रूद्रप्रयाग	2007-08	0.14	0	0	0	0	0.14
4	बानना साधन सहकारी समिति नैनीताल	2007-08	0.19	0	0	0	0.01	0.20
5	देवाल साधन सहकारी समिति चमोली	2004-05 से 2007-08	1.47	0	0	0	0.31	1.78
	योग	-	3.75	0	0	0.02	0.83	4.60

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/समितियां:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	नई टिहरी दुग्ध उत्पादक सह0संघ लि0	2006-07	0.16	5.24	1.14	0	0	6.54
2	दुग्ध उत्पादक सह0संघ लि0 लाल कुआ नैनीताल	2007-08	5.88	0	0	9.13	10.87	25.88
3	दुग्ध उत्पादक सह0संघ लि0 अल्मोड़ा	2006-07	0.13	0	0	0	2.42	2.55
-	योग	-	6.17	5.24	1.14	9.13	13.29	34.97

सहकारी गन्ना समिति

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	सहकारी गन्ना समिति लि0 इकवालपुर, हरिद्वार	2004-05 से 2006-07	12.40	0	0	0	0	12.40
	योग	-	12.40	0	0	0	0	12.40

ग्राम पंचायतें:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	ग्राम पंचायत- कोटी, वि0क्षे0-खिर्सू जनपद- पौड़ी	2002-03 से 2007-08	0.86	0.25	0	0.04	0	1.15
2	ग्राम पंचायत- कठूड़, वि0क्षे0- खिर्सू, जनपद- पौड़ी	2002-03 से 2007-08	0.24	0	0	0	0	0.24
3	ग्राम पंचायत- श्रीकोट, वि0क्षे0-खिर्सू, जनपद- पौड़ी	2002-03 से 2007-08	0.38	0.17	0	0	0	0.55
4	ग्राम पंचायत- पोखरी वि0क्षे0 खिर्सू जनपद- पौडी	2002-03 से 2007-08	0.24	0	0	0	0	0.24
5	ग्राम पंचायत- कांडा वि0क्षे0 रिखाणीखाल जनपद- पौड़ी	2002-03 से 2007-08	0.07	0	0	0	0	0.07
6	ग्राम पंचायत- कर्तिया वि0क्षे0 रिखाणीखाल जनपद- पौड़ी	2002-03 से 2007-08	0.04	0	0	0	0	0.04
7	ग्राम पंचायत- सिंगुणी, वि0क्षे0 नौगांव, जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2007-08	0.50	0.39	0	0	0	0.89
8	ग्राम पंचायत- बिंगसी, वि0क्षे0- नौगांव, जनपद-उत्तरकाशी	2007-08	0	0	0	0.53	0	0.53
9	ग्राम पंचायत- बखरेटी वि0क्षे0 नौगांव जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2007-08	0.56	0	0	0.41	0	0.97

10	ग्राम पंचायत- उपराड़ी वि0क्षे0 नौगांव जनपद- उत्तरकाशी	2007-08	0	0	0	3.63	0	3.63
11	ग्राम पंचायत- मूंगरा वि0क्षे0 नौगांव जनपद- उत्तरकाशी	2007-08	0	0	0	0.12	0	0.12
12	ग्राम पंचायत- खाबलीसेरा वि0क्षे0 पुरोला जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2007-08	0.10	0	0	0	7.74	7.84
13	ग्राम पंचायत- जखोल वि0क्षे0 मोरी जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2007-08	0.19	0	0	0.66	0	0.85
14	ग्राम पंचायत- ढाटमीर वि0क्षे0 मोरी जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2007-08	0.27	0	0	0.45	0	0.72
15	ग्राम पंचायत- हल्ताडी वि0क्षे0 मोरी जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2007-08	0	0	0	0.30	0	0.30
16	ग्राम पंचायत- खन्यांसडी वि0क्षे0 नौगांव जनपद- उत्तरकाशी	2006-07 से 2007-08	0	0	0	0.41	0	0.41
17	ग्राम पंचायत- गंगाड़, वि0क्षे0 मोरी जनपद-उत्तरकाशी	2006-07 से 2007-08	0.14	0	0	0.27	0	0.41
18	ग्राम पंचायत- सुपऊ, वि0क्षे0 काल्सी जनपद- देहरादून	2005-06 से 2006-07	0	0	0	0	0.04	0.04
	योग:-	-	3.59	0.81	0	6.82	7.78	19.00

संकलन:-

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं में वित्तीय अनियमित्ताओं सम्बंधी संकलित कुल धनराशि
वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु

(ऑकड़े लाखों में)

क्र0 सं0	नाम	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग	विविध अनियमितता	योग
1	जिला सहकारी बैंक लि0	0	3.35	0.62	74.34	35.96	114.27
2	जिला सह संघ एवं केन्द्रीय उप0 भण्डार लि0/भेषज संघ	0.14	11.60	0	0.16	5.26	17.16
3	किसान सेवा सहकारी / दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	3.75	0	0	0.02	0.83	4.60
4	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ / समितियां	6.17	5.24	1.14	9.13	13.29	34.97
5	विशिष्ट समितियॉं/गन्ना समितियॉं	12.40	0	0	0	0	12.40
6	ग्राम पंचायतें	3.59	0.81	0	6.82	7.78	19.00
-	योग	26.05	21.00	1.76	90.47	63.12	202.40

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 नि0को0वि0से0/272–20–10–2010–400 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।